पूर्व तट रेलवे

EAST COAST RAILWAY

सतर्कता बुलेटिन

VIGILANCE BULLETIN

नवम्बर/NOVEMBER 2016 ■ अंक/No.13

पूर्व तट रेलवे

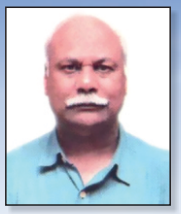

उमेश सिंह

संदेश

मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2016 के अवसर पर पूर्व तट रेलवे की सतर्कता शाखा द्वारा सतर्कता बुलेटिन का 13 वाँ अंक प्रकाशित किया जा रहा है।

भारत जैसे गणतांत्रिक देश में जनता की भूमिका अहम है। वे सभी सरकारी योजनाओं एवं लक्ष्यों को पूरा करने की कुंजी हैं। जागरूक जनता सही अर्थो में एक प्रभावशाली प्रहरी की भूमिका का निर्वाह करती है। शायद इसीलिए केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के लिए "सत्यनिष्ठ एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन को बढ़ावा देने में जनता की भागीदारी" उपर्युक्त विषय का चयन किया है।

यह विचारणीय है कि हमारी रेल का सतर्कता संगठन नियमित रूप से निहायत ही पारदर्शी तौर पर सभी जन शिकायतों की जाँच करता है। साथ ही, रेल उपयोगकर्ता एवं अन्य स्टेक धारकों में सतर्कता जागरूकता बढ़ाने के लिए सतर्कता विभाग संगोष्ठी, सम्मेलन आदि का भी आयोजन करता है। स्कूल एवं कॉलेज के छात्र, जो कि हमारे देश के भावी नागरिक हैं, को भी निबंध लेखन, संगोष्ठियों, चित्रांकन तथा वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016 के अवसर पर सतर्कता बुलेटिन के इस अंक को प्रकाशित करने के लिए सतर्कता संगठन बधाई का पात्र है। हमारे दैनिक कार्यों में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों एवं कमियों को दूर करने तथा उनकी सही पहचान एवं उनसे बचने के लिए यह एक अंतदृष्टि प्रदान करता है। आशा करता हूँ कि भविष्य में रेल कर्मियों को उनका कार्य सुचारू रूप से निष्पादित करने में यह सहायक सिद्ध होगा।

(उमेश सिंह)
महाप्रबंधक

भुवनेश्वर
दिनांक : 18.10.2016

EAST COAST RAILWAY

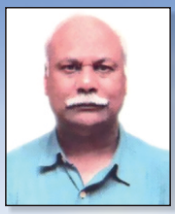

Umesh Singh

MESSAGE

I am delighted to learn that the Vigilance Branch of East Coast Railway is bringing out the 13th issue of Vigilance Bulleting on the occasion of Vigilance Awareness Week-2016.

In a democratic country like India, the role of public is vital. They are key to execution of all government plans and objectives. A conscious public really plays the role of an effective watchdog. The Central Vigilance Commission has, therefore, rightly chosen the theme 'Public Participation in Promoting Integrity and Eradicating Corruption' for this year's Vigilance Awareness Week.

It is noteworthy that the Vigilance organization of our Railway is regularly investing into all public complaints in a very transparent manner. Further, Vigilance Department is also trying to create vigilance awareness amongst rail user s and other stake holders by organizing seminars, meets, etc. School and college students being the future citizens of our country are also invited for participation in essay writing, seminars, painting and debate competitions.

I compliment the Vigilance organization for bringing out this issue of Vigilance bulletin on the occasion of Vigilance Awareness Week, 2016. It provides insight into various pitfalls and deficiencies that arise in our day-to-day work situations and how the same can be avoided with due care and caution. I hope this will go a long way in helping the railway officials perform their job in a more efficient manner.

Umesh Singh
18.10.16

Bhubaneswar,
Dated : 18.10.2016

(Umesh Singh)
General Manager

पूर्व तट रेलवे

जया वर्मा सिन्हा

प्रस्तावना

सार्वजनिक भागीदारी हमारे जैसे गणतांत्रिक देश में अहम भूमिका निभाती है। जितनी व्यापक सार्वजनिक भागीदारी उतना सशक्त एवं जीवंत गणतंत्र और उसके संस्थापन होंगे। मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा सतर्कता जागरुकता सप्ताह-2016 के लिए चुना गया विषय "सत्यनिष्ठा एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन को बढ़ावा देने में जनता की भागीदारी" सर्वथा ध्यान केन्द्रित करता है।

पूर्व तट रेलवे का सतर्कता संगठन सभी जन शिकायतों की समयबद्ध तरीके से तत्परता पूर्वक जाँच करता है। संगठन दोषी व्यक्तियों को दंडित करना भी सुनिश्चित करता है।

सतर्कता बुलेटिन के 13वें अंक में विस्तृत रूप से केस अध्ययन निहित हैं जो सतर्कता शाखा द्वारा पता लगाई गई अनियमितताओं एवं प्रक्रियात्मक खामियों पर प्रकाश डालते हैं। सभी स्तरों पर जागरूकता फैलाने के लिए कार्यान्वित प्रणाली सुधारों को भी शामिल किया गया है। दैनिक कार्यो में ऐसी खामियों से बचने के लिए रेलवे अधिकारियों को शिक्षित एवं उनका मार्गदर्शन करना इसका लक्ष्य है।

आशा करती हूँ कि यह बुलेटिन अपने उदेश्य में सफल होगा। पाठकों के सुझावों का स्वागत है जिससे अगले अंक को और अधिक सार्थक बनाया जा सके।

जया वर्मा सिन्हा
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

भुवनेश्वर
दिनांक : 18.10.2016

EAST COAST RAILWAY

Jaya Varma Sinha

FOREWORD

Public participation plays a vital role in a democratic country like ours. The wider the public participation, the stronger & vibrant is the democracy and its institutions. The Chief Vigilance Commission's choice of the theme 'Public participation in promoting Integrity and eradicating corruption' for the Vigilance Awareness Week-2016 rightly focuses on it.

The Vigilance organization of the East Coast Railway has been actively investigating into all public complaints in a time bound manner. The Organization also ensures that the dishonest people are punished.

This 13th issue of Vigilance Bulletin contains a wide rance of case studies which highlight the irregularities and procedural lapses detected by vigilance wing. System improvements implemented have also been included to spread awareness of the same at all levels. The objective of this is to educate and guide the Railway officials to avoid such lapses in their day-to-day working.

I hope the bulletin will service it's purpose. Suggestions from readers are most welcome to make the next issue more meaningful.

Bhubaneswar,
Dated : 18.10.2016

(Jaya Varma Sinha)
Sr. Dy. General Manager

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
क.	**मामलों का अध्ययन**	
1.	ठेकेदारी कार्यों के नमूना कंक्रीट मिश्रण के निष्पादन में गुणवता नियंत्रण संबंधी अनियमितता	1
2.	डिपोजिट कार्य को पूरा करने के लिए कोडल प्रावधान का उल्लंघन एवं उच्च दर की सामग्री के लिए परिचालन भिन्नता	1
3.	आरडीएसओ प्रमाणपत्र के बिना भुगतान	3
4.	ट्रैवल एजेंट द्वारा नकली सैन्य वाउचर का इस्तेमाल	3
5.	दवाईयों की स्थानीय खरीद में अनियमितता	5
6.	ई.एम.डी. एवं एस.डी. की धन-वापसी में विलंब	5
7.	रेलवे में नियुक्ति के लिए फर्जी विकलांगता प्रमाणपत्र का प्रस्तुत किया जाना	7
8.	ठेकेदारी के कार्यों में आपूर्ति मदों के लिए प्राक्कलन तैयार करने में अनियमितता	7
9.	एजेंसी द्वारा फर्जी प्रत्यय पत्र	9
10.	अवैध निरीक्षण प्रमाणपत्र	9
11.	सुविधा पास पर कई बार बुकिंग करना	11
12.	ओ.बी.एच.एस./सी.टी.एस./यंत्रीकृत कोच सफाई/स्टेशन सफाई के कार्य-निष्पादन में सामान्य अनियमितताएं	11
13.	सुपुर्दगी अवधि का नैमित्तिक रुप से उल्लेख किया जाना	13
14.	पूर्व तट रेलवे में मंडलों के विभागीय चयन प्रक्रिया में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अनियमितता	13
15.	भंडार रिकार्ड के रखरखाव एवं स्टॉक के लेखा-जोखा में अनियमितता	15
16.	गैर-कानूनी तरीके से संविदा की समाप्ति	15
17.	स्टोर सामग्री में अनियमितताएं	17
18.	अनधिकृत रूप से पी.आर.एस और ई-टिकटों का प्रापण	17
19.	लाइनेन की सफाई में सामान्य अनियमितताएं	19
20.	स्क्रैप निपटान एवं लेखा-जोखा में अनियमितताएं	19
21.	लीज आवास की सबलेटिंग	21
22.	स्टील/सीमेंट खपत और संविदात्मक कार्यों के निष्पादन में दैनिक प्रगति रजिस्टरों के रखरखाव में अनियमितता	21
23.	संविदा के सरकारी दस्तावेजों में हेरा-फेरी	21
24.	संकेत एवं दूरसंचार निविदा को अंतिम रुप दिए जाने में अनियमितता	23
25.	सुपरफास्ट ट्रेन में एजीसी पट्टे में अधिलदान	23
26.	रनिंग रूम के रखरखाव में पाई गई अनियमितता	23
27.	एक भंडार निविदा मामले में असंगत पी.वी.सी. की स्वीकृति	25,27
28.	धोखे से बाल शिक्षा भत्ता का दावा करना	29
29.	ठेकेदारी कार्यों के निष्पादन के दौरान सामग्री स्टेकिंग के लिए स्थान के आवंटन के बाद संरक्षण शुल्क की वसूली में अनियमितता	29
30.	योग्य इंजीनियर की गैर-नियुक्ति	31
31.	एक सुपरफास्ट ट्रेन के लीज्ड एसएलआर में अधिलदान	31
32.	आर.सी.डी. में पाई गई अनियमितताएं	31
33.	भंडार बिल को पारित करने में देरी	33
34.	जाली यात्रा भत्ता का दावा करना	33
35.	टिकट जांचकर्ता कर्मचारी की गुप्त मंशा	35
36.	सीमेंट कंक्रीट की मात्रा के माप और बाधा अनुरक्षण रजिस्टर तथा स्थल आदेश रजिस्टर के रखरखाव में अनियमितता	35
37.	मालभाड़ा वसूल न किया जाना	37
38.	फर्जी जाति प्रमाण-पत्र का उपयोग करते हुए रेलवे में भर्ती होना	37
39.	यू.टी.एस के संचालन में संलिप्त अनधिकृत व्यक्ति	37
40.	गिट्टी आपूर्ति संविदा में अनियमितता	39
41.	पी.आर.एस टिकट के स्पेशल रद्दकरण में अनियमितता	39
	प्रणाली में सुधार	39
42.	निविदा अनुसूची में दिए गए प्रवधानों का गैर-अनुपालन	41
43.	पार्सल प्रेषण पर गलत शुल्क लगाना	41
44.	उच्च श्रेणी के डिब्बों में अनियमित यात्रियों को अनुमति देना	41
ख.	**रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देश/परिपत्र**	
1)	विषय:-निविदा दस्तावेजों में स्पष्टता	43-44
2)	विषय:-दंड/जुर्माना लागू करने के संबंध में	45
3)	विषय:-संवेदनशील/अति महत्वपूर्ण पदों से संबंधित कार्यों को निपटाते समय अनुशासनिक/ अपीली/पुनरीक्षण प्राधिकारियों की भूमिका	46

CONTENTS

S. N.	SUBJECT	PAGE NO.
A.	**CASE STUDY**	
1.	Irregularity in Quality control during execution of the design mix concrete in contractual works.	2
2.	Operating variation for high rate item and violation of codal provision for executing deposit work	2
3.	Payment without RDSO Certificate	4
4.	Fake military voucher used by Travel Agent	4
5.	Irregularity in local purchase of medicine	6
6.	Delay in refund of EMD & SD.	6
7.	Production of false PH certificate for appointment in Railways	8
8.	Irregularity in preparation of Estimates for supply item in contractual works	8
9.	Fake credential by agency	10
10.	Invalid Inspection Certificate:	10
11.	Multiple booking on privilege pass	12
12.	Common irregularities in execution of OBHS/ CTS/ Mechanized Coach Cleaning/ Station Cleaning	12
13.	Casual mention of Delivery Period	14
14.	Irregularities in evaluation of answer sheets in departmental selections in the divisions of ECoR	14
15.	Irregularity in maintenance of stores records and accoutal of stock	16
16.	Illegal termination of contract	16
17.	Irregularity of store materials	18
18.	Unauthorized procurement and sale of PRS and E-tickets	18
19.	Common irregularity in Cleaning of Linens	20
20.	Irregularities in accountal and disposal of scrap	20
21.	Subletting of leased accommodation:	22
22.	Irregularity in maintenance of Steel/Cement consumption and Daily Progress Registers required for execution of the contractual works.	22
23.	Manipulation of official documents of contract	22
24.	Irregularity of finalization S&T Tender	24
25.	Overloading in leased AGC of a superfast train	24
26.	Irregularity observed in maintenance of running Room	24
27.	Acceptance of improper PVC in a stores tender case.	26,28
28.	Claiming of Children Educational Allowance fraudulently	30
29.	Irregularity in recovery of conservancy charges after allotting space for material stacking during execution of the contractual works.	30
30.	Non engagement of qualified engineer	32
31.	Overloading in the leased SLR of a superfast train	32
32.	Irregularity observed in RCD	32
33.	Delay in passing of stores bill	34
34.	Fraudulent claim of Travelling Allowance:	34
35.	Ulterior motive of ticket checking staff	36
36.	Irregularity in measurements of quantity of cement concrete and maintenance of Hindrance Register & Site Order Register	36
37.	Non-collection of freight	38
38.	Appointment in railways by using fake caste certificate	38
39.	Unauthorized person engaged in operation of UTS	38
40.	Irregularity in supply of ballast contract	40
41.	Irregularity in special cancellation of PRS ticket	40
	SYSTEM IMPROVEMENT	40
42.	Non comply of provision in tender schedule	42
43.	Wrong charging of parcel consignments	42
44.	Allowing irregular passengers in upper class coaches	42
B.	**Railway Board Guidelines/Circular**	
1.	Clarity in tender documents	43-44
2.	Regarding Imposition of Penalty.	45
3.	Role of Disciplinary/Appellate/Revisionary Authorities while dealing with the sensitive cases.	46

केस-1

ठेकेदारी कार्यों के नमूना कंक्रीट मिश्रण के निष्पादन में गुणवता नियंत्रण संबंधी अनियमितता

निवारक जांच के दौरान एल.एच.एस कार्य के निष्पादन में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए :-

(1) अंतिम बिल तैयार करने में अयुक्तिपूर्ण आधार पर देरी हुई। आरोपी द्वारा इसका कारण बताया गया कि ई.ओ.टी अवधि के भीतर अंतर्गत साइट बुक में दर्ज उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्य का ठेकेदार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

(2) आर.सी.सी नमूना मिश्रण परीक्षण के लिए आरोपी द्वारा कई परीक्षण किए गए जो IS: 456:2000 पेज संख्या 29 के अपेक्षित मानक के अनुरूप नहीं थे।

की गई कार्रवाई: संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील (लघु दंड) नियम के तहत कार्रवाई करने के लिए सिफारिश की गई है।

केस-2

डिपोजिट कार्य को पूरा करने के लिए कोडल प्रावधान का उल्लंघन एवं उच्च दर की सामग्री के लिए परिचालन भिन्नता

डिपोजिट स्तर पर किए जा रहे एक विद्युत(ओ.एच.ई) कार्य निष्पादन की निवारक जांच के दौरान निम्नलिखित बातें सामने आई -

1. संविदा दो अनुसूचियों में निहित है। अनुसूची 1: कंक्रीट कार्य, अनुसूची 2: ओ.एच.ई कार्य। दर अधिक होने के कारण, भविष्य के कार्यो के लिए अनुसूची -1 की दरों को एल.ए.आर. के रूप में नहीं लेने के लिए निविदा समिति ने सुझाव दिया।
2. एल.ओ.ए. जारी होने के 23 दिन बाद संविदा के वास्तविक क्षेत्र से परे एक अन्य डिपाजिट कार्य को पूरा करने के लिए परिवर्तन का अनुमोदन किया गया अर्थात जिस एजेंसी के लिए परिवर्तन अनुमोदित किया गया था उसके मूल कार्य के चालू होने से पहले।
3. प्रस्तावित परिवर्तन की लागत एवं मात्रा का आकलन किये बिना ही परिवर्तन अनुमोदित कर दिया गया।
4. संबंधित उपरि परिवर्तन हेतु अत्यावश्यकता दर्शाने के लिए प्रस्तावित परिवर्तन की तिथि से 9 महीना पुराना पत्र है। (इतने समय में कार्य के लिए अनुमानित लागत की स्वीकृति दी जा सकती थी और इसके लिए नई संविदा का निर्णय लिया जा सकता था)।
5. डिपाजिट कार्य को पूरा करने के लिए इंजीनियरींग कोड के मद सं.735 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आकलन तैयार किए बिना, पार्टी से सहमति लिए बिना तथा पैसे जमा किए बिना ही कार्य को शुरू कर दिया गया।
6. प्रस्तावित परिवर्तन भाग के लिए अनुसूची-1 (यथा उच्च दर के कारण सामग्री को प्रतिबंधित किया गया) के कार्य को पूरा करने के बाद, कार्य को रोक दिया गया। इस प्रकार से केवल उच्च दर वाले भाग को कार्यान्वित करने के कारण एजेंसी को लाभ मिला।

की गई कार्रवाई: संबंधित कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी एवं वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कार्रवाई के लिए सिफारिश की गई है।

CASE STUDIES FOR VIGILANCE BULLETIN – 2016

Case-1

Irregularity in Quality control during execution of the design mix concrete in contractual works.

During preventive check for execution of LHS works the following facts were disclosed:

(i) There was delay in preparation of final bill for unreasonable ground. The reason stated by the CO, that "the contractor has not complied with the instructions of higher official which are being recorded in site order book", within the period of EOT.

(ii) The number of tests conducted by CO for testing of design mixed RCC is not fulfilling the standard requirement as per IS: 456:2000 page no.29.

Action taken: Staff concerned is being recommended to be taken under D&AR (Minor penalty).

Case-2

Operating variation for high rate item and violation of codal provision for executing deposit work

During preventive check of an electrical (OHE) work being executed on deposit basis the following observations are made.

1. The contract consists of two schedules. Schedule1: Concrete works, Schedule2: OHE works. Due to High Rate, TC recommended for not taking rates of Schedule-1 as LAR for future works.
2. After 23 days of issuance of LOA, variation was approved to execute another deposit work outside the original scope of contract. i.e. even before commencing the original work by the agency variation approved.
3. Variation approved without accessing the quantity and cost of the proposed variation.
4. The urgency shown for upward variation is a 9-month old letter w.r.t. the date of proposing variation. (Within this time estimate for the work could be sanctioned and new contract for the same could have been finalized).
5. Deposit work taken up without preparation of estimate, taking consent from Party and getting the money deposited violating provisions at item no 735 of engineering code for execution of deposit work.
6. After executing the works of schedule 1 (i.e. the item restricted due to high rate) for the proposed variation portion, the work stopped. Thus executing only high rate portion benefitted the agency.

Action taken: Recommended to take up concern Senior scale officer and JAG officer with DAR.

केस-3

आरडीएसओ प्रमाणपत्र के बिना भुगतान

ईआई संविदा कार्य के निवारक जांच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं :-

1. निविदा अनुसूची में डी सी पोलाराइज्ड 3-पोजीशन रिले सहित डबल लाइन ब्लॉक उपकरण के लिए प्रावधान है। परंतु, निविदा अनुसूची में केवल डबल लाइन उपकरण के लिए विनिर्देश उपलब्ध हैं।
2. तदनुसार, आरडीएसओ ने केवल डबल लाइन ब्लॉक उपकरण का निरीक्षण किया।
3. एजेंसी ने बगैर डीसी पोलाराइज्ड 3-पोजीशन रिले के आरडीएसओ निरक्षित डीएलबीआई की आपूर्ति की।
4. प्रेषिती ने सामग्री अर्थात आरडीएसओ निरीक्षित बिना डीसी पोलाराइज्ड 3-पोजीशन रिले के डीएलबीआई को स्वीकार किया परंतु डीसी पोलाराइज्ड 3-पोजीशन रिले सहित डबल लाइन ब्लॉक उपकरण के लिए भुगतान किया।
5. प्रेषिती द्वारा सामग्री को स्वीकार किया गया जो अनुसूची के अनुसार नहीं था। अत: एजेंसी को किया गया भुगतान अनियमित था।

की गई कार्रवाई: संबंधित वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/संकेत भंडार के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियम के तहत लघु दंड कार्रवाई शुरु की गई है।

केस-4

ट्रैवल एजेंट द्वारा नकली सैन्य वाउचर का इस्तेमाल

- सैन्य वाउचर के नाम पर पी.एन.आर जनित फर्जी ई-टिकट बिक्री की शिकायत के आधार पर इन गतिविधियों में संलिप्त ट्रैवल एजेंट के खिलाफ झांसा देने के लिए जांच अयोजित की गई।
- जांच के दौरान ट्रैवल एजेंट के पास से (1) एक अव्यवहृत वाउचर IAFT-1720 और (2) सैन्य वाउचर के नाम लिए गए टिकट की छाया प्रति मिली।
- वाउचर की सत्यता हेतु वाउचर जारी करने वाले भारतीय सैन्य अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई। प्रत्युतर नकारात्मक आया।
- ट्रैवल एजेंट भारतीय सेना का सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक था ।
- ट्रैवल एजेंट फर्जी वाउचर दिखाकर पी.आर.एस. काउंटर से आरक्षित टिकट खरीदा करता था फिर एक समान दिखनेवाला नकली ई-टिकट प्रिंट करता था और पूरा किराया वसूल करते हुए भोले-भाले यात्रियों को बेच देता था।

की गई कार्रवाई:

प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दर्ज की गई, स्थानीय पुलिस ने ट्रैवेल एजेंसी के मालिक को आईपीसी की धारा 419/466/468/471/476 के तहत गिरफ्तार कर लिया। आई.आर.सी.टी.सी को उक्त एजेंसी को रद्द करने और संविदा के नियम और शर्तों के तहत उचित कार्रवाई करने की सलाह दी गई।

Most of the things worth doing in the world had been declared impossible before they were done. - Louis D. Brandeis

Case-3

Payment without RDSO Certificate

During a preventive check on an EI works contract following irregularities observed.

1. In the tender schedule there is provision for Double Line Block Instrument with DC polarized 3-Position Relay. But the Specification provided in the tender schedule is for Double Line Block Instrument only.
2. Accordingly, RDSO inspected only Double Line Block Instrument.
3. The Agency supplied RDSO inspected DLBI without DC polarized 3-position relay.
4. The consignee accepted the material i.e RDSO inspected DLBI without DC polarized 3-position relay but made payment for Double Line Block Instrument with DC polarized 3-Position Relay.
5. The consignee accepted materials which is not as per schedule and thus the payment made to the Agency is irregular.

Action taken Minor penalty D&A action has been initiated against the concerned SSE/SIG store.

Case-4

Fake military voucher used by Travel Agent

- Based on complaint of selling fake e-tickets on the strength of PNRs generated against military vouchers, a decoy check was conducted on the travel agent indulged in such activity.
- During the check, Travel Agent was found in possession of (1) One Un-exchanged Voucher IAFT-1720 and (2) Photocopy of a reservation ticket generated against a Military Voucher.
- Genuineness of the Vouchers was sought from the issuing authority in Indian army. Reply came in negative.
- Travel Agent happened to be an Ex-Serviceman retired from Indian Army.
- Travel Agent used to procure reserved tickets from PRS Counter producing the fake voucher, then printing a fake look-alike e-ticket and selling that to gullible passengers against full fare.

Action taken:

An FIR was lodged, local police arrested the owner of the travel agency U/S419/466/468/ 471/ 476 of IPC. IRCTC was advised to cancel the agency and take deem fit action under the terms and conditions of the contract.

केस-5

दवाईयों की स्थानीय खरीद में अनियमितता:

दवाईओं की स्थानीय खरीद के परिप्रेक्ष्य में एक निवारक जांच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं-

- थोक खरीददारी की तुलना में स्थानीय खरीद-दर दुगनी है।
- स्थानीय खरीद की आपूर्ति के एक दिन बाद ही थोक आपूर्ति की प्राप्ति हुई थी।
- थोक आपूर्ति की संभावनाओं की छान-बीन किए बिना ही थोक आपूर्ति आदेश की उपलब्धता के बावजूद स्थानीय खरीद की गई थी।

की गई कार्रवाई: भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं से बचने के लिए निम्नलिखित प्रणाली सुधार को कार्यान्वित किया गया है:

- स्थानीय खरीद हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, स्टॉक स्थिति, मासिक खपत, वर्तमान क्रय आदेशानुसार आपूर्ति की संभावना, अनुकल्प दवा की उपलब्धता, नजदीकी रेलवे अस्पताल इकाई में दवा की उपलब्धता सहित बकाया स्थिति का उल्लेख अवश्य हो ताकि अधिकारी इस संबंध में यह जानकर ही निर्णय ले सके कि स्थानीय खरीद अनिवार्य है या नहीं और स्थानीय खरीद के माध्यम से कितना खरीदो जाए।
- जब कभी क्रय आदेश उपलब्ध हो, तो फर्म से शीघ्र आपूर्ति पाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए न कि स्थानीय खरीद का सहारा लिया जाना चाहिए। यदि वर्तमान क्रय आदेश की आपूर्ति में देरी की संभावना हो तो वर्तमान क्रय आदेश की आपूर्ति की संभावित तारीख की अवधि तक जितनी मात्रा की जरूरत हो उतनी ही स्थानीय खरीद की जाए।
- यदि एवजी दवा उपलब्ध हो तो स्थानीय खरीद से बचना चाहिए।
- यदि नजदीकी रेलवे अस्पताल इकाई में दवा उपलब्ध हो तो उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

केस-6

ई.एम.डी. एवं एस.डी. की धन-वापसी में विलंब

दिनांक 27.02.2015 को खोले गए एक सामग्री निविदा मामले में 05 फॉर्मों ने भाग लिया। एम.एल.टी.सी द्वारा निविदा पर अंतिम निर्णय लिया गया और सफल बोली लगाने वाले के नाम पर दिनांक 22.04.2015 को क्रय आदेश जारी किया गया। असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ई.एम.डी. दिनांक 03.02.2016 को वापस की गई जबकि वापस करने के लिए दिनांक 06.08.2015 को अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

की गई कार्रवाई: संबंधित अधिकारी पर अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कार्रवाई की गई और निम्नलिखित प्रणाली सुधार जारी किया गया-

- हस्ताक्षर हेतु क्रय आदेश प्रस्तुत करते समय वितरक यह प्रमाणित करें कि सभी असफल बोलीदाताओं की ई.एम.डी. जारी कर दी गई है।
- क्रय आदेश का पुनरीक्षण करते समय वित्त विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि सभी असफल बोली लगाने वालों का ई.एम.डी. वापस कर दिया गया है।
- ई.एम.डी. रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए ई.एम.डी. वापसी पत्र की प्रतिलिपि निविदा सेक्शन में भेजा जाए।
- प्रत्येक माह ई.एम.डी. रजिस्टर की समीक्षा की जाए।
- ई.एम.डी. का विवरण प्राप्त करने के लिए एम.एम.आई.एस. का उपयोग करें ताकि मैन्युअल डेटा प्रविष्टि से बचा जा सके।
- एम.एम.आई.एस. से एस.डी. विवरण एवं इसके वापसी संबंधी सूचना को प्राप्त करें।

Case-5

Irregularity in local purchase of medicine

During the course of preventive check in the aspects of local procurement of medicine, the following irregularities were observed:

- The rate of LP was twice that of bulk purchase.
- The bulk supply was received just 01 day after the LP Supply.
- Local purchase was initiated even if bulk order was available without exploring the prospects of bulk supply.
- The LP proposal did not mention the present stock, monthly consumption, details of cover dues and supply status/expectancy of supply against existing purchase orders.

Action taken:

To avoid similar irregularities in future, the following system improvement was implemented:

- While putting up the proposal for local purchase, the stock position, monthly consumption, the dues position along with prospects of supply against existing PO, availability of substitute medicine, availability of medicine in nearby Railway hospital unit, should be mentioned so that the officer can take informed decision regarding whether local purchase is essential and how much is to be purchased through LP.
- Whenever there is PO available, effort should be made to get early supply from the firm rather than resorting to local purchase. In case the prospects of supply for the existing PO is likely to be delayed, only such qty should be purchased locally, which is sufficient to cover up to the expected date of supply of existing PO.
- Local purchase should be avoided if substitute medicine is available.
- Efforts should be made to get the medicine from nearby units if available.

Case-6

Delay in refund of EMD & SD.

In a store tender case opened on 27.02.2015, 05 numbers of firms have participated. The tender was finalised through MLTC and the Purchase order was issued on 22.04.2015 on the successful bidder. The EMD submitted by the unsuccessful bidder was returned on 03.02.2016 though approval to return EMD was obtained on 06.08.2015.

Action taken: The official concerned has been taken up under D&AR & following system improvement was issued:

- Dealers while putting up the P.O. for signature should certify that EMDs of all the unsuccessful tenderers have been released.
- Finance is to ensure release of EMDs of all the unsuccessful tenderers at the time of P.O. vetting.
- Copy of the EMD release letter to be sent to tender section for updating the EMD register.
- EMD register to be reviewed every month.
- MMIS to be used for capturing the details of EMD to avoid manual data entry.
- To capture all the SD details and its release thereon in MMIS.

केस-7

रेलवे में नियुक्ति के लिए फर्जी विकलांगता प्रमाणपत्र का प्रस्तुत किया जाना

सूचना के आधार पर, सतर्कता विभाग ने एक केस की जांच की और पाया कि रोजगार सूचना सं.01/2014 दि.18.01.2014 के अनुसार तकनीकी पद के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड, भुवनेश्वर ने जिस अभ्यर्थी को पैनल में शामिल किया उसने फर्जी विकलांगता प्रमाणपत्र जमा किया है। जांच में यह साबित हुआ कि अभ्यर्थी की विकलांगता 40% से भी कम है।

की गई कार्रवाई:

उस अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को निरस्त करने की सिफारिश की गई ।

केस-8

ठेकेदारी के कार्यों में आपूर्ति मदों के लिए प्राक्कलन तैयार करने में अनियमितता

मंडल प्राक्कलन अनुभाग की निवारक जांच के दौरान निम्नलिखित तथ्यों का खुलासा हुआ :-

सेट में मदों का विवरण तथा उनकी मात्रा का उल्लेख किए बिना ऑक्सीजन की आपूर्ति के मदों के लिए इकाई अंकित की गई और डी.ए. टैंक को सेट में रखा गया ।

इस अनियमितता के कारण, निविदा करने वाली पार्टी मद के दर का आकलन नहीं कर सकी (यथा-मात्रा की जानकारी के बिना) और साथ ही गैस एवं ऑक्सीजन की मात्रा पर जांच करने की कोई गुंजाइश नहीं रही जो एजेंसी द्वारा आपूर्ति की जाती ।

की गई कार्रवाई:

1. संबंधित वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (प्राक्कलन)/प्रभारी को भविष्य में प्राक्कलन तैयार करते समय सावधानी बरतने के लिए चेतावनी देने का सुझाव दिया गया।
2. संबंधित क. इंजीनियर (प्राक्कलन) के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियम के तहत (लघु दंड) देने की सिफारिश की गई।

Case-7

Production of false PH certificate for appointment in Railways

Based on source information, Vigilance Department has investigated a case and detected that a candidate empanelled by Railway Recruitment Board, Bhubaneswar for the post of Technician against Employment Notice No.01/2014 dtd.18.01.2014 has submitted false Physically Handicapped Certificate. The investigation has revealed that the candidate is having less than 40% disability.

Action taken:

Recommended for cancellation of candidature of the candidate.

Case-8

Irregularity in preparation of Estimates for supply item in contractual works

During preventive check of Divisional Estimate section, the following facts were disclosed:

The unit quoted for the item of supply of oxygen and DA tank is simply in Set, without mentioning the details of items their quantity in the set.

Due to this irregularity, the tendering party cannot asses the rate of the item (i.e. without knowing the quantity) and also the executive of work has no scope to check over the quantity of gas and oxygen supplied by the agency.

Action taken:

(I) Advised to issue a Warning to concerned SSE (Estimates)/Incharge "to be careful in future for preparation of Estimates."

(ii) Recommended to take up the concerned JE (Estimates) under D&AR (Minor penalty).

केस-9

एजेंसी द्वारा फर्जी प्रत्यय पत्र

विद्युत (सामान्य सेवा) के अनुरक्षण कार्य की निवारक जांच के दौरान निम्नलिखित बातें सामने आईं-

1. एक विद्युत संविदा के लिए बोली लगाते समय, एक एजेंसी ने यह स्पष्ट करते हुए प्रत्यय-पत्र जमा किया कि उन्होंने एक सरकारी संस्था द्वारा प्रदत्त कार्य को पूरा किया है।

2. जांच के दौरान, डाक द्वारा मंडल ने एक पुष्टिकरण पत्र प्राप्त किया और तदनुसार उस एजेंसी के पक्ष में संविदा प्रदान की गई।

3. अन्य मंडल द्वारा जारी ऐसे निविदा के मामले में भी उस एजेंसी ने वही प्रत्यय-पत्र जमा किया था ।

4. दस्तावेजों की जांच के दौरान, मंडल को दो पत्र प्राप्त हुए – एक ने यह स्पष्ट किया कि प्रत्यय-पत्र सही है और दूसरे ने यह स्पष्ट किया कि एजेंसी द्वारा उनकी संस्था में कोई कार्य नहीं किया गया है।

5. कार्य प्रणाली: एजेंसी ने पहले नकली प्रत्यय-पत्र जमा किया तथा उसे कामयाब बनाने के लिए मंडल अधिकारियों को जाली पत्र डाक द्वारा भेजने की कोशिश की।

की गई कार्रवाई: इस रेलवे द्वारा उस फर्म के साथ व्यापार को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की गई है।

केस-10

अवैध निरीक्षण प्रमाणपत्र

एक ई.आई संविदा कार्य के निवारक जांच के दौरान निम्मलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

1. निविदा अनुसूची में आरडीएसओ एवं राइट्स द्वारा निरीक्षित सामग्री की आपूर्ति का प्रावधान है।

2. आरडीएसओ और आरआईटीईएस के परिपत्र के अनुसार सामग्री की प्राप्ति हेतु निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी तिथि से एक माह तक वैध होगा तथा संबंधित भंडार के लिए सामग्री के प्रेषण के आधार पर यदि आई सी की वैध अवधि के भीतर सामग्री प्रप्त नहीं की जाती है तो निरीक्षण प्रमाण पत्र का पुनर्वैधीकरण / नया निरीक्षण प्रमाण पत्र अपेक्षित है।

3. आपूर्ति सामग्री आरडीएसओ और आरआईटीईएस द्वारा निरीक्षित थीं परंतु परेषिति ने एक माह के बाद सामग्री प्रप्त की अर्थात निरीक्षण प्रमाणपत्र की अवैधता के आधार पर।

4. चूंकि सामग्री बिना अपेक्षित पुनर्वैधीकरण/ नए निरीक्षण प्रमाण पत्र के प्राप्त की गई है, इसलिए वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर का कार्य अनियमित है।

की गई कार्रवाई: संबंधित अधिकारी के विरुद्ध लघु दंड के तहत कार्रवाई की गई।

Case-9

Fake credential by agency

During preventive check of a maintenance work of electrical (General Service) the following observations are made.

1. While bidding for an Electrical Contract, an agency submitted a credential stating to have completed works awarded by a Govt. Organization.
2. In the course of verification, the division received a confirmation letter by post and accordingly, the contract was awarded in favor of the said agency.
3. The agency submitted the same credential in case of a similar tender, floated by another division.
4. In the course of verification of documents, the division received two letters-one stating the credential to be genuine and the other stating that the agency hadn't done any work in their organization.
5. Modus Operandi: The agency first submitted fake credentials and then managed to post forged letters to the divisional authorities.

Action taken: Recommended to Ban business with the firm by this Railway.

Case-10

Invalid Inspection Certificate:

During a preventive check on an EI works contract following irregularities observed.

1. In the tender schedule there is provision for supply materials RDSO and RITES inspection required.
2. As per RDSO and RITES circulars the inspection certificate shall be valid for one month from the date of issue for receipt of materials and revalidation of Inspection Certificate is required / Fresh inspection required if materials have not been received within validity period of IC depending on dispatch of materials to concerned store.
3. The supply materials have been inspected by RDSO and RITES, but the consignee received the materials after one month i.e on the basis of invalidity of Inspection Certificate
4. The action by SSE is irregular since the material was received without required revalidation of Inspection Certificate / Fresh inspection.

Action taken Minor penalty D&A action has been initiated against the concerned official.

केस-11

सुविधा पास पर कई बार बुकिंग करना

- इतर रेलवे के एक पूछताछ सह आरक्षण लिपिक को पूर्व तट रेलवे के क्षेत्राधिकार में आरक्षण टिकट एवं सुविधा पास के प्राधिकार पर सपरिवार यात्रा करते हुए पाया गया ।
- जिस सुविधा पास पर आरक्षण टिकट लिया गया है उस पर पृष्ठांकन नहीं था ।
- आगे और जांच में पता चला कि उसी सुविधा पास पर ग्यारह बार पीएनआर जनित आरक्षण किया गया।
- सभी पी.एन.आर उस व्यक्ति के कार्यस्थल से लिए गए थे जिसमें से नौ बार स्वंय कर्मचारी द्वारा तथा दो बार उसके सहयोगी द्वारा।

की गई कार्रवाईः ई.सी.आर.सी. के विरुद्ध दीर्घ दंड अनुशासन एवं अपील नियम संबंधी कार्रवाई तथा इसमें शामिल अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित रेलवे को सलाह दी गई है।

केस-12

ओ.बी.एच.एस./सी.टी.एस./यंत्रीकृत कोच सफाई/स्टेशन सफाई के कार्य-निष्पादन में सामान्य अनियमितताएं

बाहरी एजेंसी द्वारा निष्पादित कार्य के परिप्रेक्ष्य में निवारक जांच के दौरान, नियमित रूप से पाई जाने वाली अनियमिताएं निम्न प्रकार हैं-

- निर्धारित श्रमशक्ति की गैर-तैनाती / कम तैनाती।
- निर्धारित मात्रा में सफाई केमिकल/सॉल्वेंट/कंज्युमेबल्स का उपयोग नहीं किया गया/ नहीं पाया गया।
- निर्धारित यंत्र एवं संयंत्र का उपयोग नहीं किया गया/ नहीं पाया गया।
- फीडबैक फार्म जाली / फर्जी थे।
- सफाई निर्धारित मानक / स्तर के अनुसार नहीं किया गया था।
- कोच में पहले ही/ सेवा प्रदान किए बिना यात्री फीडबैक ली गई थी।
- फार्म का नाम, ई.एच.के. का टेलिफोन संख्या और योजना के तहत प्रमुख प्रावधान के विवरण प्रदर्शित नहीं किए गए थे।
- ई.एच.के. के साथ अनुबंध की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं थी।
- निर्धारित मशीन उपलब्ध/मुहैया नहीं कराए गए/मशीन काम नहीं कर रहे थे।
- श्रमिक बिना निर्धारित वर्दी/सुरक्षात्मक गियर/संरक्षा सामग्री के पाए गए।
- ट्रैक से रैग उठाने का काम नहीं किया गया था।
- अपर्याप्त विद्युत पॉइन्ट।
- टॉयलेट फिटिंग्स की सफाई न होना।
- वातानुकूलित खिड़कियों की सफाई न होना।
- सामयिक गहन सफाई नहीं किया जाना ।
- प्रभावी पर्यवेक्षण की कमी ।
- सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति की मॉनिटरींग न होना।
- मजदूरी/ईएसआई/ईपीएफ भुगतान का अनुचित/अपर्याप्त प्रलेखीकरण।

की गई कार्रवाईः ठेकेदार के बिल से 2,17,840/- रुपयों की वसूली की गई। पर्यवेक्षण की कमी एवं कार्य निष्पादन में लापरवाही के कारण 04 पर्यवेक्षीय कर्मचारियों पर अनुशासन और अपील संबंधी कार्रवाई भी की गई।

Case-11

Multiple booking on privilege pass

- An ECRC of foreign railway was detected travelling with family in ECoR jurisdiction on the authority of reservation ticket & Privilege Pass.
- Privilege pass against which reservation ticket generated was without endorsement.
- Further investigation revealed that eleven PNRs were generated on the authority of the same pass.
- All the PNRs were generated at the location of his place of working, nine by himself and two by his colleagues.

Action taken: Major Penalty D&A action was advised to concerned railway against the ECRC and deemed fit action against other staff involved.

Case-12

Common irregularities in execution of OBHS/ CTS/ Mechanized Coach Cleaning/ Station Cleaning

The following irregularities were regularly observed during preventive check conducted in the aspects of execution of work by outside agency:

- Non-deployment/less deployment of prescribed manpower.
- Prescribed quantity of cleaning chemicals/solvents/consumables were not used/found.
- Prescribed Tools and plants were not used/found.
- Feed back forms were faked / doctored.
- Cleaning was not done as prescribed/ not up to level.
- Passenger feedback was taken before/ without attending coach.
- Farm's name, telephone number of EHK and major provision under the scheme was not displayed.
- Agreement copy was not available with EHK.
- Prescribed machines were not deployed /not provided / out of order.
- Manpower were found without prescribed uniform/ protective gear/safety articles.
- Rag picking was not done from tracks.
- Inadequate electrical points.
- Non- cleaning of toilet fittings.
- Non- cleaning of AC window.
- Periodical intensive cleaning was not being done.
- Lack of effective supervision.
- Attendance of cleaning staffs was not being monitored.
- Improper/Inadequate documentation of payment towards wages/EPF/ESI.

Action taken: Penalty of Rs.2,17,840/- was recovered from the bill of the contractor. Also DA action has been taken against 04 supervisory staffs for negligence in duty and lack of supervision.

केस-13

सुपुर्दगी अवधि का नैमित्तिक रुप से उल्लेख किया जाना

निविदा शर्तों में एक्स-स्टॉक सुपुर्दगी का उल्लेख नैमित्तिक रूप से किया गया है, जबकि डिपो खरीद के सभी मामलों में स्वीकृत सुपुर्दगी अवधि छः महीने है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वास्तविक वांछित सुपुर्दगी का उल्लेख न तो निविदा दस्तावेजों में किया गया है और न ही आपूर्ति के समय इस पर जोर दिया गया है । कुछ मामलों में यह भी देखा गया कि जिन दस्तावेजों के आधार पर दर औचित्य प्रमाणित किया गया है वे दस्तावेज संबंधित केस फाइल में उपलब्ध नहीं थे ।

की गई कार्रवाईः

निम्नलिखित प्रणाली सुधार जारी की गई –

1. वांछित सुपुर्दगी अवधि निविदा में स्टॉक के महत्व और तात्कालिकता के आधार पर ही होनी चाहिए। यदि तत्काल एक्स-स्टॉक सुपुर्दगी की आवश्यकता हो तो इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाए तथा पूर्व सुपुर्दगी मूल्य ग्राह्यता को निविदा अनुसूची में शामिल किया जाए।
2. सभी संबंधित दस्तावेज जिसके आधार पर दर औचित्य तय की गई हो निविदा फाइल में उपलब्ध होने चाहिए।

केस-14

पूर्व तट रेलवे में मंडलों के विभागीय चयन प्रक्रिया में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अनियमितता

पूर्व तट रेलवे के मंडल कार्मिक शाखाओं में निवारक जांच के दौरान यह पाया गया कि सुधार किया हुआ, ओवर राइटिंग, बदलाव आदि सहित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तरों का भी मूल्यांकन किया गया और आर.बी.ई.29/2009 में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जांच अधिकारी द्वारा उस उत्तर के लिए पूर्णांक दिए गए। यह भी पाया गया कि कार्मिक शाखा द्वारा चयन समिति के सदस्यों को वर्तमान अनुदेश भी प्रदान नहीं किए गए थे।

की गई कार्रवाई : मामला जांच के अधीन है।

Case-13

Casual mention of Delivery Period

Ex-stock delivery was being mentioned casually in tender condition whereas the accepted delivery period in all the cases of depot purchase is six months. It therefore appeared that actual desired delivery period was neither being mentioned in the tender document not being enforced during supply. It was also seen with some cases that rate reasonableness had been certified based on certain documents which were not available in the case file.

Action Taken : The following system improvement was issued:

1. The desired delivery period in the tender should be based on the urgency and criticality of the stock. If urgent ex-stock delivery is required, the same may be specifically mentioned and price preference for earlier delivery should be incorporated in the tender schedule.
2. All relevant documents based on which rates are justified should be available in the tender file itself.

Case-14

Irregularities in evaluation of answer sheets in departmental selections in the divisions of ECoR

During preventive checks at Divisional Personnel Branches of ECoR, it was detected that answers to objective questions with corrections, overwriting, modification etc. have been evaluated and given full marks by Evaluating Officers in violation of instructions enumerated in RBE No.29/2009. It was further detected that Personnel branch have not provided latest instructions to the selection committee members.

Action taken:

Cases are under investigation.

केस-15

भंडार रिकार्ड के रखरखाव एवं स्टॉक के लेखा-जोखा में अनियमितता

भंडार रिकार्ड के रखरखाव एवं स्टॉक के लेखा-जोखा में निवारक जांच के दौरान निम्नलिखित तथ्यों का खुलासा हुआ:

1) संबंधित स्टॉकधारी द्वारा मनी वैल्यु बुक (आई.ई लेजर) का अनुरक्षण नहीं किया गया।

2) स्टॉक के लेखा-जोखा के संबंध में प्रणाली विफलता है क्योंकि नई इकाई के खुलने की तिथि (2007) से स्टॉक का सत्यापन नहीं किया गया है।

3) नई इकाई खुलने की तारीख से अब तक भंडार लिपिक का पद रिक्त है।

की गई कार्रवाई: निम्नलिखितें कार्रवाई करने की सलाह देते हुए मंडल अधिकारियों के साथ आवश्यक पत्राचार किया गया।

1. संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियम के तहत (लघु दंड) कार्रवाई करने की सिफारिश की गई।

2. मंडलों को सलाह दी गई है कि -

   (ए) स्टॉक सत्यापन हेतु वित्तीय सहयोगी के साथ समन्वय स्थापित करें।

   (बी) भंडार हेतु एक लिपिक वर्गीय कर्मचारी को तैनात करें।

केस-16

गैर-कानूनी तरीके से संविदा की समाप्ति

विद्युत् (सामान्य सेवा) के अनुरक्षण कार्य संबंधी संविदा-कार्य के निवारक जांच के दौरान निम्नलिखितें तथ्य सामने आये-

1. मूलरूप से संविदा की अवधि 7 महीने की थी, जिसके दौरान कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई।

2. टोकन जुर्माना सहित समयावधि को अगले एक साल के लिए चार बार बढ़ाया गया।

3. प्रत्येक बार, 15 से 45 दिनों के विलंब के साथ समय बढ़ाने के लिए अनुमति दी गई।

4. कार्यान्वित कार्य के हिस्से (जो करीब 65 लाख है) के लिए ठेकेदार द्वारा ऑन एकाउंट बिल भुगतान के लिए अनुरोध किया गया था जिस पर विचार नहीं किया गया और निविदा को रद्द कर दिया गया।

5. फाइल निपटान करने वाले कार्यालय अधीक्षक पत्रों को 15 दिन से अधिक के लिए लंबित रखता है और कुछ मामलों में दो महीनों तक।

6. डीलर के द्वारा कार्यालय में प्राप्त कुछ पत्र खो दिए गए और कुछ छुपा दिए गए जिसके परिणामस्वरूप नमूने की मंजूरी लेने और समय बढ़ाए जाने में देरी हुई ।

7. कार्य को कार्यान्वित करने वाले फील्ड अधिकारियों के साथ परामर्श किए बिना ही एजेंसी की खराब प्रगति बताते हुए पत्र जारी किया गया।

8. समय बढ़ाए जाने का प्रस्ताव संबंधित फील्ड अधिकारियों के माध्यम से अग्रेषित नहीं किया गया था।

9. संविदा की अवधि की समाप्ति के एक दिन पहले 7 दिन की सूचना जारी की गई एवं पूर्ण अवधि की समाप्ति के पश्चात 48 घंटे की सूचना जारी की गई और संविदा को निरस्त कर दिया गया।

10. संविदा की निरस्तीकरण प्रक्रिया में रेलवे बोर्ड के पत्र सं.99/CE-I/CT/28(PT) दि.17.05.2004 द्वारा परिपत्रित प्रक्रिया का संविदा - समाप्ति में पालन नहीं किया गया था।

की गई कार्रवाई: संबंधित कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी पर लघु दंड और कार्यालय अधीक्षक पर दीर्घ दंड की कार्रवाई के लिए सिफारिश की गई ।

Case-15

Irregularity in maintenance of stores records and accountal of stock

During preventive check for maintenance of stores records and accountal of stocks the following facts were disclosed:

1) The concerned stock holder failed to maintain the money value book (i.e. Ledger).
2) There is a system failure on the part of accountal of stock because the stock verification has not been done from the date of the opening of the new unit (i.e. 2007) to till date.
3) The post of stores clerk is vacant from the date of opening of the new unit to till date.

Action taken: The necessary correspondence has been made with Divisional authorities, advising to take following actions.

1) Staff concerned is being recommended to be taken under D&AR (Minor penalty).
2) Division is advised to:
   (a) Co-ordinate with Finance Associate for stock verification.
   (b) Post one ministerial staff for stores.

Case-16

Illegal termination of contract

During preventive check of a works contract of maintenance work of electrical (General Service) the following observations are made.

1. Contract period was originally for 7 months, during which there was no progress of work.
2. Currency extended four times for another one year with token penalty.
3. Each time, time extension was allowed with delay of 15 to 45 days.
4. Contractor's request for on account bill payment for the portion of work (which was about 65 lakh) executed was not considered and the tender was terminated.
5. The OS dealing the file was keeping the letters pending for more than 15 days and in some cases, for two months.
6. Some letters received by the office were misplaced and suppressed by the dealer causing delay in approval of sample and granting time extension.
7. Letters were issued to agency stating poor progress, but without consulting the field officials who were executing the work.
8. Proposal for granting time extension was not routed through concerned field officials.
9. 7 days notice issued just a day before the completion period of contract and 48 hours notice issued after expiry of completion period and then the contract was terminated.
10. The procedure circulated vide Railway Board's Letter no 99/CE-I/CT/28(PT) dated 17.05.2004 to deal with such contracts was not followed in the process of termination of contract

Action taken: Recommended to take up the OS with Major penalty and the concerned JAG officer with Minor penalty.

केस-17

स्टोर सामग्री में अनियमितताएं

एक ईआई संविदा कार्य के निवारक जांच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

1. निविदा सूची में परेषिति निरीक्षण सहित सैमसंग, सोनी या एलजी मेक के औद्योगिक ग्रेड के 1.5 के.वी.ए. का सीपीयू, यूपीएस और 47``प्लाजमा मॉडल वीडीयू का प्रावधान है।

2. संबंधित वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर /संकेत और सहायक संकेत एवं दूर संचार इंजीनियर ने सैमसंग, सोनी या एलजी मेक के औद्योगिक स्तर के सीपीयू, यूपीएस 1.5 के.वी.ए. के स्थान पर सैमसंग, सोनी या एलजी वाणिज्यीक स्तर के 1 के.वी.ए. सीपीयू, यूपीएस तथा 47``प्लाजमा मॉडल वी.डी.यू. के स्थान पर शार्प निर्मित वीडीयू का निरीक्षण किया परंतु अनुसूची के अनुसार परेषिति प्रमाणपत्र जारी किया ।

3. वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/संकेत द्वारा प्राप्त निरीक्षित सामग्री अनुसूची के अनुरुप नहीं थी ।

4. चूंकि सामग्री अनुसूचित मदों के अनुरुप नहीं थीं इसलिए वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर का कार्य अनियमित था।

की गई कार्रवाईः

इस मामले को आवश्यक कार्रवाई हेतु रेलवे बोर्ड को अग्रेषित किया गया।

केस-18

अनधिकृत रूप से पी.आर.एस और ई-टिकटों का प्रापण

- उचित स्रोत से मिली जानकारी के अनुसार, एक टूर एवं ट्रैवल एजेंट आपरेटर पर झांसा देने के लिए जांच आयोजित की गई क्योंकि वो अनधिकृत रुप से धोखे से पीआरएस और ई-टिकट बेचकर अवैध रूप से पैसा कमा रहा था।

- जांच के दौरान, सात पीआरएस टिकट, दो ई-टिकट, दस भरे गए मांग पत्र, सोलह रिक्त मांगपत्र जब्त किए गए।

की गई कार्रवा ईः टूर एवं ट्रैवल एजेंसी ऑपरेटर को रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 143 के तहत गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया।

Case-17

Irregularity of store materials

During a preventive check on an EI works contract, following irregularities observed:

1. In the tender schedule there is provision for supply materials Industrial grade CPUs', UPS of 1.5 KVA and VDU of 47" plazma model of make: Samsung, Sony or LG with consignee inspection.

2. The concerned SSE/SIG and ASTE have inspected Commercial grade CPUs' in place of 'Industrial grade CPUs'.UPS of 1KVA in place of 1.5KVA and VDU of make-SHARP instead of VDU of 47" plazma model of make: Samsung, Sony or LG but consignee certificates have been issued as per schedule.

3. The inspected materials received by SSE/SIG which are not as per schedule.

4. The action by SSE is irregular since the material was received without schedule items.

Action taken:

The case has been forwarded to Railway Board for necessary action.

Case-18

Unauthorized procurement and sale of PRS and E-tickets

- On source information, a decoy check was conducted on the operator of a Tour & Travel agent for indulging in malpractice and earning illegal money by way of procuring and selling PRS and e-tickets unauthorizedly.

- During the check, seven PRS tickets, two e-tickets, ten numbers of filled-in requisition slips, sixteen numbers of blank requisition slips were seized.

Action taken:

The operator of the Tour & Travel agency was arrested U/S 143 of Railways Act, 1989 and a case was registered.

केस-19

लाइनेन की सफाई में सामान्य अनियमितताएं

लाइनेन की सफाई के परिप्रेक्ष्य में की गई निवारक जांच में निम्नलिखित सामान्य अनियमितताएं पाई गईं:-

- निर्धारित ब्रैंड/गुणवत्ता के सफाई कैमिकल का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
- निर्धारित मात्रा में सफाई कैमिकल उपयोग नहीं किया जा रहा है।
- इस्त्री करते समय गलत तह करना।
- सही तरह से नहीं सुखाया जाना।
- दाग न हटाया जाना।
- फटे लाइनेन को अलग नहीं किया जाना ।
- गरम पानी का प्रावधान उपलब्ध नहीं किया जाना।
- निविदा शर्तों में सभी निविदा अनुदेशों के गैर-अनुपालन के लिए जुर्माने का शर्त उपलब्ध न होना ।

की गई कार्रवाई:

कार्यकारी विभाग को भविष्य में तैयार किए जाने वाले संविदा में जुर्माने की शर्त को शामिल करने तथा नियमित रूप से आकस्मिक जांच करने की सलाह दी गई है।

केस-20

स्क्रैप निपटान एवं लेखा-जोखा में अनियमितताएं

स्क्रैप निपटान एवं लेखा-जोखा में सामान्य अनियमितताएं पाई गईं -

- मिश्रित लॉट (रेल के साथ स्विच या ग्लुड जॉइंट)।
- लौह एवं गैर-लौह सामग्री के मिश्रित लॉट।
- असमान लॉट अवस्थिति(पहुंच मार्ग से दूर)।
- जारी किया गया स्क्रैप नए स्क्रैप के साथ।
- लॉट का असमान आकार(बहुत ही छोटा कभी-कभी 0.1 टन से भी कम)।
- लॉट रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जाना।
- आर.एम. लेज़र में जारी की गई सामग्री का गैर वर्गीकरण।
- स्क्रैप के निपटान/वितरण में देरी।

की गई कार्रवाई:

संबंधित 03 वरिष्ठ अनुभाग इंजीनियर एवं 01 भंडार लिपिक पर अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कार्रवाई की गई तथा उचित लॉट गठन करने और समुचित रिकार्ड रखने की सलाह दी गई।

Case-19

Common irregularity in Cleaning of Linens

The following irregularities were commonly being observed during preventive check conducted in the aspects of Linen cleaning:

- Prescribed brand/quantity of cleaning chemicals not used.
- Prescribed quantity of cleaning chemicals not used.
- Improper folding in ironing.
- Drying was not done properly.
- Stain removal was not done.
- Torn linens were not segregated.
- Provision of hot water was not available.
- Penalty clause was not available in tender condition for non compliance of all tender instruction.

Action taken:

Executive department was advised to incorporate penalty clause in future contract and was advised to carry out surprise check frequently.

Case-20

Irregularities in accountal and disposal of scrap

Common irregularities observed in accountal and disposal of scrap:

- Mixed lot *(rail with switch or glued joints)*
- Mixed lot of ferrous and non- ferrous materials
- Improper lot location *(away from approachable road)*
- Released scrap mixed with new
- Improper lot size *(very very small size sometimes less than 0.1 Ton).*
- Non maintenance of lot register
- Non classification of released material in RM ledger
- Delay in disposal/ delivery of scrap.

Action taken:

Concerned 03 SSEs and 01 store clerk have been taken under DA & R and advised for proper lot formation and proper record keeping.

केस-21

लीज आवास की सबलेटिंग

लीज आवास पर निवारक जांच में पाया गया कि प्रमुख मुख्य इंजीनियर/पूतरे/भुवनेश्वर के कार्यालय में कार्यरत एक वरिष्ठ अनुभाग इंजीनियर (रेल पथ) ने वास्तव में स्वयं न रहते हुए लीज आवास का लाभ लिया है। इस मामले पर आगे की जांच में यह पाया गया कि इस कर्मचारी ने अपने लीज आवास को घर के मालिक एवं एक अन्य व्यक्ति को भाड़े पर दे दिया है।

की गई कार्रवाई:

उस कर्मचारी के प्राधिकारी को उस कर्मचारी के विरुद्ध दीर्घ दंड अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कार्रवाई करने की सलाह दी गई है तथा उसकी लीज सुविधा को निरस्त करने के अलावा स्वीकृति तारीख से उसे भुगतान की गई लीज राशि को वसूलने की सलाह दी गई है।

केस-22

स्टील/सीमेंट खपत और संविदात्मक कार्यों के निष्पादन में दैनिक प्रगति रजिस्टरों के रखरखाव में अनियमितता

सिविल जोनल कार्यों के निष्पादन के लिए निवारक जांच के दौरान निम्नलिखित तथ्यों का खुलासा हुआ:-

1. सतर्कता जांच के दौरान संबंधित कर्मचारी ने गलत जानकारी दी और तथ्यों को छुपाया तथा स्पष्टीकरण संबंधी बयान देते समय छेड़छाड़ किए गए दस्तावेज प्रस्तुत किए ।
2. कार्य निष्पादन हेतु अपेक्षित सीमेंट खपत, स्टील खपत और दैनिक प्रगति रजिस्टरों का रखरखाव नहीं किया।

की गई कार्रवाई:

संबंधित कर्मचारी के विरुदध अनुशासन एवं अपील नियम के तहत (लघु दंड) कार्रवाई करने की सिफारिश की गई ।

केस-23

संविदा के सरकारी दस्तावेजों में हेरा-फेरी

विद्युत संबंधी एक कोटेशन कार्य की निवारक जांच के दौरान, निम्नलिखित तथ्य सामने आये -

1. समय विस्तार अनुमोदित करते समय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माना को वसूल किए बिना ही कार्य के अंतिम बिल को पारित किया गया।
2. आगे की जांच करने पर पता चला कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय विस्तार अनुमोदित करने से पहले ही उस समझौते के निष्पादन पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे।
3. फाइल निपटान करने वाले कार्यालय अधीक्षक को संविदा कोटेशन के दस्तावेजों के साथ छेड़खानी करते हुए पाया गया।

की गई कार्रवाई:

संबंधित कार्यालय अधीक्षक को दीर्घ दंड आरोप पत्र से दंडित किया गया।

Case-21

Subletting of leased accommodation:

Preventive check on leased accommodation has revealed that one SSE/P.Way working in the O/o PCE/ECoR/BBS has been availing the facility of leased accommodation without actually staying in it. Further inquiry on the matter has revealed that the employee has given his leased accommodation to the owner and another person on rent basis.

Action taken:

The authority of the employee has been advised to initiate Major Penalty D&AR action against the employee and also advised to recover lease amount already paid from the date of sanction, apart from cancellation of lease facility.

Case-22

Irregularity in maintenance of Steel/Cement consumption and Daily Progress Registers required for execution of the contractual works.

During preventive check for execution of civil zonal works the following facts were disclosed

1) The concerned staff has concealed the facts and given wrong information at the time of vigilance check and provided tampered documents during clarificatory statement.

2) The registers for cement consumption, steel consumption and daily progress required for the execution of work are not being maintained.

Action taken:

Staff concerned is being recommended to be taken under D&AR (Minor penalty).

Case-23

Manipulation of official documents of contract

During preventive check of a quotation work of electrical the following observations are made.

1. The final bill of the work passed without recovering the penalty imposed by competent authority while granting time extension.

2. On further investigation it was revealed that the agreement effecting time extension signed prior to granting of time extension by the competent authority.

3. The OS dealing the file found to be manipulating the documents of the quotation contract.

Action taken:

The concerned OS penalized with major penalty charge sheet.

केस-24

संकेत एवं दूरसंचार निविदा को अंतिम रुप दिए जाने में अनियमितता

टीएलबीआई निविदा कार्य के निवारक जांच के दौरान, निम्नलिखित अनियमितता प्रकाश में आयी :-

1. निविदा दस्तावेजों के अनुसार निविदा फैक्स के माध्यम से प्राप्त की जाएगी तथा 10 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर पुष्टि की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाएगी।
2. निविदाकर्ता ने फैक्स के माध्यम से प्रत्ययपत्र प्रमाणपत्र के बगैर निविदा दस्तावेज प्रस्तुत किया।
3. बाद में पुष्टि के समय, प्रत्ययपत्र प्रमाणपत्र के साथ फैक्स किए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जो पहले फैक्स करते समय प्रस्तुत नहीं किया गया था। निविदा समिति द्वारा इस निविदा पर विचार किया गया जो अनियमित है।

की गई कार्रवाई : प्रणाली सुधार जारी किया गया कि फैक्स के माध्यम से निविदा प्राप्त न किया जाए।

केस-25

सुपरफास्ट ट्रेन में एजीसी पट्टे में अधिलदान

- एक स्टेशन पर आयोजित निवारक जांच के दौरान एक सुपर फास्ट ट्रेन के एजीसी पट्टा से उतारे गए सामान को दुबारा तौला गया।
- एजीसी का वजन 2873.23 किलो का पाया गया जो अनुमत धारण क्षमता से 1873.23 किलो अधिक है।
- दंडात्मक शुल्क के रुप में पट्टाधारी से 1,03,733/- रुपए की राशि वसूल की गई।

की गई कार्रवाई : संबंधित पट्टाधारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए संबंधित रेलवे को सलाह दी गई है।

केस-26

रनिंग रूम के रखरखाव में पाई गई अनियमितता

रनिंग रूम के निवारक जांच के दौरान निम्नलिखित सामान्य अनियमितताएं पाई गईं :-

- रजिस्टरों (R1-R12) का सही रूप से रखरखाव नहीं किया जाना।
- रसोई की स्थिति अस्वास्थ्यकर/मैली।
- कूलरों की खराब अवस्था/ प्रावधान ही नहीं इत्यादि।
- लिनेन/तकिये/मच्छरदानी साफ-सुथरे नहीं पाए गए।
- कम लोगों की तैनाती।
- बिना निर्धारित वर्दी/पहचान पत्र के कर्मचारी इत्यादि।
- सामयिक चिकित्सा जांच नहीं किया गया था ।
- संविदा में श्रमशक्ति का पालन न करने की स्थिति में जुर्माना के लिए दंड अनुच्छेद उपलब्ध नहीं था।

की गई कार्रवाई: संविदा शर्तों में पाई गई कमियों के लिए भविष्य के संविदाओं में दंड अनुच्छेद को शामिल करने हेतु प्रणाली सुधार जारी किया गया । समुचित पर्यवेक्षण न करने के लिए 02 वाणिज्य लिपिकों के विरूद्ध अनुशासन एवं अपील संबंधी कार्रवाई की गई ।

Case-24

Irregularity of finalization S&T Tender

During a preventive check of a TLBI works contract following irregularities were observed:

1. As per tender documents tender will be received through FAX and confirmation copy will be submitted within a period of ten working days.
2. The tenderer has submitted tender documents through fax without credential certificate.
3. Later stage at the time of confirmation, copies of the faxed documents were submitted by the tenderer with credential certificate which was not submitted while submitting through fax. The tender was considered by tender committee which is irregular.

Action taken: The system improvement have been issued to stop receipt of tender through FAX.

Case-25

Overloading in leased AGC of a superfast train

- During preventive check conducted at a station, the leased consignment unloaded from AGC of a S/F train were re-weighed.
- The AGC was found loaded up to 2873.23 kg, overloaded beyond the permissible carrying capacity by 1873.23 kg.
- An amount to the tune of Rs.1, 03,733/- was recovered from the lease holder towards punitive charges.

Action taken : The concerned Railway was advised for taking stringent action against the concerned leased holder.

Case-26

Irregularity observed in maintenance of running Room

The following irregularities were being commonly observed during preventive check in Running Room:

- Improper maintenance of registers (R1-R12).
- Unhygienic condition of kitchen.
- Non-provision / breakdown of coolers etc.
- Linen / pillow / mosquito net were not found clean.
- Less deployment of manpower.
- Manpower without prescribed uniform/ identity cards, etc.
- Periodical medical check-up was not done.
- Penalty clause was not available in contract for non-compliance of manpower.

Action taken: System improvement was issued for incorporation of penalty clause in future contract against short fall of contract condition. DA action was taken against 02 CC for poor supervision.

केस-27

एक भंडार निविदा मामले में असंगत पी.वी.सी. की स्वीकृति

(I) निम्नलिखित पी.वी.सी. अनुच्छेद के साथ एक भंडार निविदा जारी किया गया ।

"इकनोमिक टाईम्स/भुवनेश्वर में छपे समाचार के अनुसार निविदा खुलने की तिथि में जो चांदी की कीमत थी उसके आधार पर ही भाव लगाया गया । यदि चांदी की कीमत 1 रुपया प्रति किलोग्राम भी घटता/बढ़ता है तो प्रति टुकड़े की कीमत रु.0.02 प्रति संख्या की दर से बढ़/घट सकता है । उस दिन की चांदी की कीमत की गणना की जाती जिस दिन निरीक्षण के लिए सामग्री रखी जाती है ।"

(ii) उक्त निविदा के लिए विभिन्न पी.वी.सी. शर्तों के साथ 05 प्रस्ताव प्राप्त हुए । अतः निविदा खोलने के दिन विभिन्न प्रस्तावों में से एक सही प्रस्ताव को निर्धारित करने के लिए सभी प्रस्तावों को एक आम आधार के अंतर्गत लानी चाहिए थी, जो नहीं किया गया था ।

(iii) एल-1 फॉर्म ने निम्नलिखित पीवीसी कोट किया था -

दिनांक 08.09.2014 की इकनॉमिक टाइम्स के आधार पर कोलकाता में चांदी की दर 42,000/- रुपए प्रति किलो है । यदि चांदी एक रुपया बढ़ या घट जाए तो उत्पादन मूल्य का 0.20 रुपया बढ़ या घट जाना को ही पी.वी.सी. कहते हैं ।

(iv) अतः यह देखा गया है कि फॉर्म ने निविदा को 03 भिन्नताओं के साथ प्रस्तुत किया, (a) निविदा के 0.02 के लिए पी.वी.सी. दर 0.20, (b) निविदा में इकनॉमिक टाइम्स/भुवनेश्वर के चांदी की दर के बदले इकनॉमिक टाइम्स/कोलकाता के चांदी का दर । और (c) निविदा खुलने की तारीख 10.09.2014 के निविदा शर्तों के बदले दिनांक 08.09.2014 के अनुसार चांदी की कीमत रु.42,000/- ।

(v) निविदा समिति कार्यवृत्त में निविदा समिति सदस्यों द्वारा किसी भी विसामान्यता के संबंध में विस्तृत चर्चा नहीं की गई । निविदा समिति सदस्यों ने एल-1 फॉर्म को आदेश जारी करने हेतु अनुशंसा की तथा इसे निविदा स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था ।

(vi) इकनोमिक टाइम्स, भुवनेश्वर दिनांक 08.09.2014 के अनुसार चांदी की कीमत 42,000/- प्रति किलो और पी.वी.सी. दर 0.20 के साथ क्रय आदेश जारी किया गया था ।

(vii) दिनांक 20.01.2015 के पत्र के तहत फर्म के ने क्रय आदेश में पी.वी.सी को 0.20 से 0.02 करने का अनुरोध किया था । निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी ने दि.21.01.2015 को निविदा समिति के माध्यम से संशोधन प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए । क्रय आदेश में सुपुर्दगी अवधि दिनांक 13.04.2015 तक था । लेकिन सुपुर्दगी अवधि की समाप्ति तक फॉर्म को कोई सूचना नहीं भेजी गई । जी.डी. के साथ क्रय आदेश को रद्द करने की अगली सूचना दिनांक 20.05.2015 को भेजी गई थी ।

(viii) एक बार निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा निविदा समिति के माध्यम से संशोधन प्रस्तुत करने के लिए सूचना देने के पश्चात, संयोजक को टिप्पणी प्राप्त करने के लिए इसे अन्य सदस्यों के पास हीं भेजना चाहिए था । निविदा समिति के आयोजन के पहले सदस्यों द्वारा अपने अभ्युक्तियां टिप्पणी में लिखना सही नहीं है । निविदा समिति कार्यवृत्त में असहमति के साथ सभी संबंधित मामलों पर निविदा समिति द्वारा चर्चा एवं विचार किया जाना चाहिए था ।

Case-27

Acceptance of improper PVC in a stores tender case.

1) One store tender was floated with the following PVC clause.

   "The rate quoted is as per silver rate as on the date of tender opening as published in Economic Times/Bhubaneswar. If the price of the silver goes up/down by Re.1 per kg., then the price per number will go up/down by Rs.0.02 per piece. The price of silver would be calculated on the day of putting the material for inspection."

2) Against the above tender, 05 offers with different PVC conditions were received. Hence, for arriving at correct inter-se ranking between different offers as on the date of tender opening, all the offer should have been brought to a common base, which was not done.

3) The L-1 firm has quoted the following PVC:

   "The price of silver is Rs. 42000/- per Kg as per Kolkata rate in the Economic times on 08.09.2014. The PVC is if the price of silver increases or decreases by Re.1, then the product value will increase or decrease by Re.0.20".

4) Thus it is seen that the firm has quoted 3 variations with respect to tender, (a) PVC rate of 0.20 as against 0.02 of tender, (b) price of silver as per Kolkata rate in the Economic Times against price of silver as per Bhubaneswar rate in the Economic Times in tender and (c) silver price of Rs.42000/- as on 08.09.2014 as against the tender condition of date of tender opening i.e. 10.09.2014.

5) Non of the deviations were discussed in detail by the TC members in the TC minutes. TC members have recommended for placement of order on L-1 firm and the same was also accepted by the Tender Accepting Authority.

6) P.O. was issued with PVC rate of 0.20 and base rate of Rs.42000/- per kg. of silver as per Bhubaneswar rate in the Economic Times, dated, 08.09.2014.

7) The firm vide letter dated, 20.01.2015 has requested for change of PVC from 0.20 to 0.02 in the P.O. TAA has directed on 21.01.2015 to put up for the modification through TC. The DP of the P.O. was up to 13.04.2015. However no communication was sent to the firm till the end of DP. The next communication for cancellation for cancellation of P.O. with GD was on 20.05.2015.

8) Once the TAA has advised for putting up the modification through TC, the convener should not have sent for obtaining the remarks of the other members. The members writing their respective remarks on the noting side before conducting TC was not proper. TC should have discussed and deliberated all relevant issues in the TC minutes itself including any disagreement.

(ix) दिनांक 13.04.2015 को सुपुर्दगी अवधि की समाप्ति के पश्चात दिनांक 20.04.2015 को अंततः प्रतिपूरक निविदा समिति प्रस्तुत की गई। सुपुर्दगी अवधि की उपलब्धता के बिना यह एक व्यर्थ प्रयोग था, चूंकि सुपुर्दगी अवधि का परिणाम (जबकि पी.वी.सी. को 0.20 से 0.02 में परिवर्तित करना था), अप्रासंगिक था। हालांकि 10% का जी.डी. लगाते हुए अगले ही दिन संविदा रद्द कर दी गई थी।

(x) प्रतिपूरक निविदा समिति ने विवेचना की कि, चूंकि फॉर्म के प्रस्ताव के अनुसार 0.20 के पि.वि.सी. को पूर्व निविदा समिति द्वारा अनुशंसित किया गया था, जिसे निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था, 0.20 से 0.02 में पी.वी.सी. के संशोधन के लिए फॉर्म का अनुरोध निरर्थक है। उक्त स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करते हुए, प्रतिपूरक निविदा समिति ने पूर्व निविदा समिति के निर्णय के समर्थन में 0.20 के पी.वी.सी. प्रस्ताव पर अटल रही। निविदा समिति द्वारा लिया गया यह निर्णय सही प्रतीत नहीं होता क्योंकि गलती के पता चलते ही सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

(xi) प्रतिपूरक निविदा समिति में निविदा स्वीकृति प्राधिकारी ने सुस्पष्ट रूप से कहा कि पी.वी.सी. 0.20 के बजाय 0.02 होना चाहिए था। उन्होंने मौखिक रूप से प्रतिपूरक निविदा समिति को प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए संयोजक से सलाह-मशविरा किया। गलत पी.वी.सी. के साथ टिके रहने का निर्णय यद्यपि गलत साबित हो रहा था क्योंकि चांदी की कीमत घट रही थी। यदि सुपुर्दगी अवधि उपलब्ध रहती और साथ ही चांदी की कीमत बढ़ती होती तो भी स्थिति औचित्यपूर्ण नहीं होती।

(xii) इकनॉमिक टाइम्स/कोलकाता में छपे चांदी की कीमत के आधार पर फर्म ने 0.20 का पी.वी.सी. प्रस्तुत किया जबकि इकनॉमिक टाइम्स/भुवनेश्वर में छपे चांदी की कीमत के आधार पर 0.20 की पी.वी.सी. के साथ क्रय आदेश जारी किया गया। क्रय आदेश वास्तव में एक प्रतिकूल प्रस्ताव था, जबकि फर्म द्वारा इस मामले को नहीं उठाया गया। भंडार नियंत्रक कार्यालय को फर्म ने 0.20 से 0.02 में पी.वी.सी को परिवर्तित करने के लिए दिनांक 20.01.2015 को पत्र लिखा जिसमें टंकण गलती होने के कारण इकनॉमिक टाइम्स के प्रकाशन के स्थान के बारे में उल्लेख नहीं किया गया था। अतः यह माना जा सकता है कि फॉर्म द्वारा प्रकाशन के स्थान को भुवनेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है या फिर इसे उन्होंने अनदेखा किया है। उपरोक्त को देखते हुए, जी.डी. सहित क्रय आदेश को रद्द करना तकनीकी रूप से औचित्यपूर्ण है, मगर फॉर्म के द्वारा की गई मामूली सी गलती के लिए यह बहुत कठोर लगता है, जिसे क्रय आदेश को जारी करने से पहले रेलवे द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप, मूल निविदा समिति के संयोजक, वित्त सदस्य और निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी को और प्रतिपूरक निविदा समिति के तकनीकी सदस्य एवं वित्त सदस्य को निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है -

- निविदा शर्तों के अनुसार फॉर्म द्वारा पी.वी.सी. को 0.02 के बदले 0.20 में प्रस्तुत करने को अनदेखा किया जाना।
- निविदा शर्तों के अनुसार फॉर्म के प्रस्ताव में इकनॉमिक टाइम्स के प्रकाशन का स्थान भुवनेश्वर देने के बजाय कोलकाता दिया जाना।
- सभी प्रस्तावों को आपसी वर्ग निर्धारण हेतु सार्वजनिक आधार के अंतर्गत नहीं लाया गया।
- सुपुर्दगी अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रतिपूरक निविदा समिति को प्रस्तुत करने में देरी के कारण संयोजक को अलग से जिम्मेदार ठहराया गया।

की गई कार्रवाई : 01 सेलेक्शन ग्रेड एवं 04 वरिष्ठ वेतनमान अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक करवाई की गई।

9) Supplementary TC was finally put up on 20.04.2015 after expiry of DP on 13.04.2015. This was futile exercise without availability of DP, as the outcome of TC (whether to modify the PVC from 0.20 to 0.02) was inconsequential. Moreover the contract was cancelled the following day with imposition of 10% GD.

10) The supplementary TC has deliberated that, as the earlier TC has recommended PVC of 0.20 as per offer of the firm, which was accepted by the TAA, the request of the firm to modify the PVC from 0.20 to 0.02 bears no merit. Furnishing the above justification, the supplementary TC has stood by the earlier decision of the TC for offering the PVC of 0.20. This stand taken by the TC does not seem to be correct as corrective action should have been taken as soon as the mistake had come to the notice.

11) The TAA in the supplementary TC has correctly pointed out that PVC should have been 0.02 in place 0.20. He has also verbally counseled the convener of the TC for the delay in putting up the supplementary TC. The decision to continue with wrong PVC though seems wrong even if price of silver was falling. Also, the stand cannot be justified, if DP would have been available and silver price would have been increased subsequently.

12) The firm had quoted PVC of 0.20 based on silver price as published in the Economic Times, Kolkata whereas P.O. was issued with PVC of 0.20 based on silver price as published in Economic Times, Bhubaneswar. Though the firm has not raised this issue, the P.O. was actually a counter offer. The firm vide letter dated, 20.01.2015 had written to COS office for modifying the PVC from 0.20 to 0.02 being a typographical mistake without mentioning anything the place of publication of Economic Times. Hence, it may be presumed that the firm has accepted the place of publication as Bhubaneswar or it may also be due to oversight on the part of the firm. In view of the above, cancellation of P.O. with GD can be justified technically, but seems to be too harsh for a simple mistake committed by the firm, which was also not noticed earlier by the Railway before placement of P.O..

Consequent upon the above, the Convener, Finance member and Tender Accepting Authority in the original TC and the technical member, finance member of the supplementary TC have been held responsible for the following:

(a) Oversight of PVC of 0.20 quoted by the firm in place of 0.02 as per tender conditions.

(b) Place of publication of Economic Times as Kolkata offered by the firm in place of Bhubaneswar as per tender condition.

(c) Not bringing all the offers to a common base for determining the inter-se ranking.

(d) The convener was additionally held responsible for the delay in putting up the supplementary TC after expiry of DP.

Action Taken: Administrative action was taken against 1 SG and 4 SS officers.

केस-28

धोखे से बाल शिक्षा भत्ता का दावा करना

एक वे-साइड स्टेशन में निवारक जांच के दौरान, यह पाया गया कि एक तकनीकी कर्मचारी ने जालसाजी करते हुए अपने बेटे के नाम जाली बोनाफाइड प्रमाणपत्र एवं फर्जी नकद प्राप्तियां जमा करते हुए भर्ती की फीस, ट्यूशन की फीस, छात्रावास की फीस, इत्यादि के तहत 54,000/- रुपए का दावा किया है। इस प्रकार वह अपने परोक्ष उद्देश्य के लिए सरकारी पैसों का गबन किया।

की गई कार्रवाई:

संबंधित कर्मचारी के प्राधिकारी को उक्त कर्मचारी के विरुद्ध दीर्घ दंड अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कार्रवाई करने तथा उसको भुगतान की गई संपूर्ण राशि को वसूलने की सलाह दी गई।

केस-29

ठेकेदारी कार्यों के निष्पादन के दौरान सामग्री स्टेकिंग के लिए स्थान के आवंटन के बाद संरक्षण शुल्क की वसूली में अनियमितता

सिविल कार्य के निष्पादन के लिए निवारक जांच के दौरान, निम्नलिखित तथ्यों का खुलासा हुआ:-

गहन चक्रवात से हुई क्षति संबंधी पुनर्निमाण कार्य निष्पादन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक ही ठेकेदार के दो अलग-अलग संविदा करार के तहत एक स्थान आवंटित किया गया। संबधित कर्मचारी संरक्षण शुल्क की वसूली हेतु प्रमाण-पत्र की प्रविष्टि करने में विफल रहा। हालांकि इसे संविदा बिल से वसूला गया।

की गई कार्रवाई:

संबंधित कर्मचारी के विरुदध अनुशासन एवं अपील नियम के तहत (लघु दंड) कार्रवाई करने की सिफारिश की गई।

Case-28

Claiming of Children Educational Allowance fraudulently

During a preventive check at a way side station, it was detected that one technical staff has fraudulently claimed an amount of Rs. 54,000/- towards Children Education Allowance on the head of Hostel fees, joining fees, tuition fees etc. by submitting fake bonafide certificate and bogus cash receipt in favour his son. Thus, he embezzled Government money for his ulterior motive.

Action taken:

The authority of the said employee has been advised to initiate Major Penalty D&AR action against the employee and to recover the entire amount paid to him.

Case-29

Irregularity in recovery of conservancy charges after allotting space for material stacking during execution of the contractual works.

During preventive check for execution of civil works the following facts were disclosed:

The Competent authority has allotted a space, against the two different contract agreements of the same contractor, in view of urgency and convenient of the work site to execute the restoration works for the damages caused by severe cyclone. The concerned staff has failed to enter the certificate for recovery of conservancy charges. However the same was recovered in the contract bills.

Action taken:

Staff concerned is being recommended to be taken under D&AR (Minor penalty).

केस-30

योग्य इंजीनियर की गैर-नियुक्ति

बिजली (सामान्य सेवा) के कार्य संविदा की निवारक जांच के दौरान निम्नलिखित तथ्य सामने आये :-

1. रु.70 लाख लागत की एक विद्युत कार्य संविदा में, कार्य को पूरा करने के लिए एजेंसी ने किसी अपेक्षित योग्य इंजीनियर को नियुक्ति नहीं किया ।
2. जी.सी.सी. की धारा सं.26

संविदा - मूल्य	आवश्यकता	जुर्माना (गैर-अनुपालन की स्थिति में)
25 लाख या उससे अधिक परंतु 2 करोड़ से कम	एक डिप्लोमा इंजीनियर	रु.25,000/- प्रति माह
2 करोड़ से अधिक	एक डिग्री इंजीनियर	रु.40,000/- प्रति माह

की गई कार्रवाई: जिस अवधि के लिए एजेंसी ने डिप्लोमा इंजीनियर की नियुक्तु नहीं की उसके लिए एजेंसी से रु.25,000/- प्रति माह के दर से रु.1,50,000/- की राशि को जुर्माना के तौर पर वसूल किया गया।

केस-31

एक सुपरफास्ट ट्रेन के लीज्ड एसएलआर में अधिलदान

- एक स्टेशन पर आयोजित निवारक जांच के दौरान एक सुपर फास्ट ट्रेन में विभिन्न स्टेशनों से उतारे गए लीज्ड कनसाइनमेंटों को पुन: तौला गया।
- एसएलआर 5403 किलो वजन पाया गया जो कि अनुमत क्षमता से 1403 किलो वजन अधिक पाया गया है।
- पट्टाधारक से दंड़ात्मक शुल्क के रूप में रु. 92,336 की राशि वसूली गई ।

की गई कार्रवाई: संबंधित पट्टाधारक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए संबंधित रेलवे को सलाह दी गई।

केस-32

आर.सी.डी. में पाई गई अनियमितताएं

आर.सी.डी. की निवारक जांच के दौरान निम्नलिखित सामान्य अनियमितताएं पाई गई :-

- फ्लो मीटर, स्टोरेज टैंक, इत्यादि की जांच समय पर नहीं होना ।
- फिल्टर्स, स्ट्रेनर्स की नियमित रूप से सफाई/बदलाव नहीं की जाती है जैसा कि निर्धारित था।
- स्टोरेज टैंक की सफाई/पेंटिंग समय पर नहीं किया जाना ।
- कैलीब्रेशन ड्रम उपलब्ध न होना ।
- अग्निशमन उपकरणों की पुन: भराई/नवीकरण समय पर नहीं किया जाना ।
- कीचड़ का निपटान समय पर नहीं किया जाना ।
- स्टॉक सत्यापन समय पर नहीं किया जाना ।
- स्टैंड-बाई फ्लो मीटर उपलब्ध न होना ।
- फ्लो मीटर को समय पर बदला न जाना ।

की गई कार्रवाई: कार्यकारी विभाग को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी गई और तेल कंपनी के समक्ष इस मामले को उठाया गया ।

Case-30

Non engagement of qualified engineer

During preventive check of a works contract of electrical (General Service) the following observations are made:

1. In an Electrical Works Contract of Value Rs 70 Lakh, the agency did not engage required qualified engineer for execution of work.
2. Clause no. 26 of GCC

Contract Value	Requirement	Penalty (in case of non-compliance)
25 Lakh or above and Less than 2 Crore	One Diploma Engineer	Rs.25000/- per month
More than 2 Crore	One-degree Engineer	Rs.40000/- per month

Action taken: Penalty of an amount of Rs.1,50,000/- recovered from the agency @ Rs25,000/- per month for the period the agency did not engage the required diploma engineer.

Case-31

Overloading in the leased SLR of a superfast train

- During preventive check conducted at a station, the leased consignment unloaded from a S/F train at different stations were re-weighed.
- The SLR is found loaded up to 5403 kg, overloaded beyond the permissible carrying capacity by 1403 kg.
- An amount of Rs.92, 336/- was recovered from the lease holder towards punitive charges.

Action taken: The concerned Railway has been advised for taking stringent action against the concerned leased holder.

Case-32

Irregularity observed in RCD

The following irregularities were being commonly observed during preventive check in RCD's:

- Calibration of flow meter, storage tanks, etc not being done in time.
- Filters, strainers were not being cleaned / changed periodically as prescribed.
- Cleaning/Painting of storage tanks were not being done in time.
- Calibration drum was not available.
- Refilling/reconditioning of Fire fighting equipments were not being done in time.
- Sludge disposal was not done in time.
- Stock verification was not done in time.
- Stand by flow meter was not available.
- Flow meter was not replaced in time.

Action taken: Executive department were advised for early corrective action and was taken up the matter with Oil Company.

केस-33

भंडार बिल को पारित करने में देरी

कुछ खरीददारी मामलों में भंडार बिल को पारित करने में असामान्य रूप से देरी की गई और निम्न भंडार अभिलेखों का अनुचित अनुरक्षण पाया गया-

(i) एक मामले में फॉर्म का बिल दिनांक 18.12.2012 को प्राप्त किया गया था मगर इसे लगभग 03 साल और 06 महीनों के अंतराल के बाद दिनांक 27.06.2015 को पारित किया गया ।

(ii) इसी प्रकार एक भंडार बिल दिनांक 23.07.2014 को प्राप्त किया गया लेकिन इसे 05 महीने 08 दिन के अंतराल के बाद दिनांक 01.12.2014 को पारित किया गया ।

(iii) एक अन्य मामले में भंडार बिल दिनांक 28.08.2015 को प्राप्त किया गया लेकिन इसे लगभग 08 महीनों के अंतराल के बाद दिनांक 29.04.2016 को पारित किया गया ।

(iv) सामग्री को स्वीकार किए बिना ही लेज़र में दर्ज किया गया ।

की गई कार्रवाई:

अनुशासन एवं अपील नियम के तहत 04 वरिष्ठ अनुभाग इंजीनियर एवं 01 कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की गई। बिल रजिस्टर बनाना आरंभ करने के लिए प्रणाली सुधार जारी किए गए।

केस-34

जाली यात्रा भत्ता का दावा करना

एक वे-साइड स्टेशन में निवारक जांच के दौरान, यह पाया गया कि एक वरिष्ठ अनुभाग इंजीनियर जिसे एक दिन की बाहरी ड्यूटी के लिए बुक किया गया था, तीन दिन की यात्रा भत्ता का दावा किया है । एक अन्य संदर्भ में, वास्तविक रूप में बिना बाहरी ड्यूटी की बुकिंग के ही एक दिन के यात्रा भत्ता का दावा किया है।

की गई कार्रवाई:

उक्त कर्मचारी के प्राधिकारी को उस कर्मचारी के विरुद्ध (पास एवं पी.टी.ओ. को बंद करने तथा सेंश्योर करने के अलावा) लघु दंड अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कार्रवाई करने और उसे भुगतान की गई अतिरिक्त यात्रा भत्ते को वसूलने की सलाह दी गई है।

Case-33

Delay in passing of stores bill

In some purchase cases passing of stores bills were delayed abnormally and improper maintenance of stores records as under:

(i) In one case the bill of the firm was received on 18.12.2012 but the bill was passed on 27.06.2015 after a lapse of 03 years and 06 months approx.

(ii) Likewise a stores bill was received on 23.07.2014 but the bill was passed on 01.12.2014 i.e. after lapse of 05 months 08 days.

(iii) In another case the stores bill was received on 28.08.2015 but the same was passed on 29.04.2016, i.e. after lapse of 08 months approx.

(iv) The materials have been taken in to ledger without accepting.

Action taken:

04 nos. of SSEs and 01 OS were taken up under DA&R. System Improvement was issued for introduction of Bill Register.

Case-34

Fraudulent claim of Travelling Allowance:

During a preventive check at a way side station, it was detected that one SSE who has been booked for outstation duty for one day has claimed Travelling Allowance for three days. In another occasion, he has claimed Travelling Allowance for an outstation duty for one day without actually been booked for the same.

Action taken:

The authority of the said employee has been advised to initiate Minor Penalty D&AR action (except stoppage of Pass & PTOs and Censure) against the employee and to recover the excess TA amount already paid to him.

केस-35

टिकट जांचकर्ता कर्मचारी की गुप्त मंशा

- एक रात्रि सुपर फास्ट ट्रेन के स्लीपर कोच में निवारक जांच के दौरान पता चला कि सात यात्रा अनियमित तौर से द्वितीय श्रेणी एम.ई. टिकट के आधार पर यात्रा कर रहे थे।
- उक्त यात्रियों से पूछने पर उन्होंने लिखित में कहा कि एक टी.टी.ई. ने उनसे रु.2500/- की राशि वसूल किए हैं जो उनकी टिकट के दूसरी तरफ लिखा है।
- दिलचस्प बात यह पता चली कि उन यात्रियों द्वारा पहचाने गए टी.टी.ई. को अन्य स्लीपर कोच के लिए बुक किया गया था।
- अंततः टी.टी.ई ने सतर्कता जांच के दौरान कोई सहयोग नहीं किया और यहां तक कि आगे एम.ई. टिकट के पीछे कुछ लिखने से भी इनकार कर दिया।

की गई कार्रवाईः

मामले की जांच जारी है और टी.टी.ई द्वारा उक्त टिकट के साथ ही पहले से जारी इ.एफ.टी. को जांच हेतु जी.ई.क्यू.डी के पास भेज दिया गया है।

केस-36

सीमेंट कंक्रीट की मात्रा के माप और बाधा अनुरक्षण रजिस्टर तथा स्थल आदेश रजिस्टर के रखरखाव में अनियमितता

स्टाफ क्वार्टर और कॉलोनी सड़क की मरम्मत से संबंधित ठेकेदारी कार्यों के निष्पादन के लिए निवारक जांच के दौरान निम्नलिखित तथ्यों का खुलासा हुआ:-

1. संबंधित वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर(कार्य) द्वारा चालू एकाउंट बिल में सीमेंट कंक्रीट के माप से अधिक भुगतान किया गया । हालांकि अंतिम बिल में अतिरिक्त मात्रा को घटाकर उसे सही किया गया।
2. वह हिंड्रेंस रजिस्टर और स्थल आदेश रजिस्टर के अनुरक्षण में विफल रहा।

की कई कार्रवाईः

संबंधित कर्मचारी के विरुदध अनुशासन एवं अपील नियम के तहत लघु दंड (सेंश्योर एवं पास/पीटीओ बंद करने के अलावा) की सिफारिश की गई।

Case-35

Ulterior motive of ticket checking staff

- During a preventive check in the sleeper class of an over night S/F train, it is detected that seven irregular passengers were travelling in reserved sleeper coaches on the strength of 2nd M/E tickets.
- The said passengers, when asked, gave written statements that a TTE has collected an amount of Rs. 2,500/- from them, writing the amount on the reverse side of their tickets.
- Interestingly, it is revealed that the TTE who was identified by the passengers booked to work other sleeper coaches.
- The TTE eventually did not cooperate during vigilance check and further even denied to have made any endorsement of the back side of the M/E tickets.

Action taken:

The case is under investigation and the said tickets along with earlier issued EFTs by the said TTE have been sent to GEQD for verification

Case-36

Irregularity in measurements of quantity of cement concrete and maintenance of Hindrance Register & Site Order Register

During preventive check for execution of contractual works related to repairs of staff Quarters and colony road the following facts were disclosed:

1. The concerned SSE (Works) has paid excess measurements of cement concrete in running on account bill. However the same is corrected by deducting the excess quantity in final bill.
2. He has failed to maintain Hindrance Register and Site Order Register.

Action taken:

Staff concerned is being recommended to be taken under D&AR (Minor penalty with punishment other than Censure and stoppage of pass/PTO).

केस-37

मालभाड़ा वसूल न किया जाना

- एक निवारक जांच के दौरान यह पाया गया कि दो कोयला लदे रैक मालभाड़ा दिए बगैर गंतव्य तक पहुंच गए।
- कनसाइनमेंट को रोक लिया गया तथा मंडल के अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सूचित किया गया है।
- लगभग 25 दिनों के बाद, मालभाड़ा रु.1,14,73,028 की राशि और स्थान शुल्क रु.56,51,023/- की राशि वसूल की गई।

की गई कार्रवाईः

मंडल अधिकारियों को सलाह दी गई कि कम दूरी वाले रेकों पर नज़र रखें और मालभाड़ा संग्रह संबंधी कार्य निर्धारित समय पर पूरा करें तथा गैर-संग्रह की स्थिति में तुरंत गंतव्य स्टेशन को दर संसूचित करें।

केस-38

फर्जी जाति प्रमाण-पत्र का उपयोग करते हुए रेलवे में भर्ती होना

एक निवारक जांच के दौरान, यह पाया गया कि फर्जी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुए एक अनुसचिवीय कर्मचारी की नियुक्ति रेलवे में हुई। वह कर्मचारी अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है मगर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत रेलवे में नियुक्त हुआ है।

की गई कार्रवाई:

उक्त कर्मचारी के प्राधिकारी को संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध दीर्घ दंड अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कार्रवाई करने की सलाह दी गई।

केस-39

यू.टी.एस के संचालन में संलिप्त अनधिकृत व्यक्ति

- एक रोड साइड स्टेशन पर निवारक जांच के दैरान पाया गया कि एक अनधिकृत व्यक्ति यू.टी.एस का परिचालन एवं बुकिंग कार्यालय के लेन-देन का कार्य कर रहा था।
- आगे जांच करने पर पता चला कि नकदी लेन-देन बंद किए बगैर मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक सुबह की पारी के मध्य में ही स्टेशन छोड़ कर चला गया।

की गई कार्रवाई: संबंधित मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियम के तहत दीर्घ दंड कार्रवाई करने के लिए मंडल को सलाह दी गई है।

Case-37

Non-collection of freight

- During a preventive check, it was detected that two coal loaded rakes arrived at destination without collection of freight.
- The consignment was detained and divisional authorities were advised for immediate necessary action.
- After around 25 days, the freight amounting to Rs.1,14,73,028/- and wharfage charges amounting Rs.56,51,023/- were collected.

Action taken:

Divisional authority has been advised to keep track on short distance rakes and ensure collection of freight within the prescribed time limit and in case of non-collection, appraise the destination station immediately.

Case-38

Appointment in railways by using fake caste certificate

During a preventive check, it was detected that one ministerial staff has got appointed in railway by producing fake caste certificate. He belongs to UR category but got appointed in railway by producing Schedule Caste Certificate in SC category.

Action taken:

The authority of the employee has been advised to initiate Major Penalty D&AR action against the employee.

Case-39

Unauthorized person engaged in operation of UTS

- During a preventive check at a roadside station, it was detected that an unauthorized person was operating the UTS and dealing transactions in the booking office.
- On further inquiry, it was revealed that the CBS left the station half way from morning shift without even closing the cash.

Action taken:

The division has been advised to take up the concerned CBS under Major Penalty DAR action.

केस-40

गिट्टी आपूर्ति संविदा में अनियमितता

गिट्टी की आपूर्ति से संबंधित ठेकेदारी कार्यों के निष्पादन के लिए निवारक जांच के दौरान निम्नलिखित तथ्यों का खुलासा हुआ:-

ठेकेदार को गिट्टी की आपूर्ति हेतु अनुमति देने से पहले संबंधित एसएसई (रेल पथ) ज़मीन के स्तर का रिकार्ड रखने में विफल रहा। गिट्टी के ढेर की अंतिम माप को रिकॉर्ड करने के दौरान गिट्टी ढेर की परिधि के साथ प्रारंभिक स्तर का माप लिया गया। फिर भी, सतर्कता जांच के दौरान जमीन का स्तर प्रायः सही पाया गया और ठेकेदार को चुकायी गई राशि मूल राशि से अधिक भीन्न नहीं थी।

की गई कार्रवाईः संबंधित कर्मचारी के विरुदध अनुशासन एवं अपील नियम के तहत (लघु दंड) कार्रवाई करने की सिफारिश की गई।

प्रणाली सुधार

1. **प्रणाली सुधार का सुझाव है कि मशीन नंबर्ड लेवेल बही का उपयोग, एमबार्कमेंट के क्रास स्लोप हेतु ग्रेडर मशीन का उपयोग तथा कार्य स्थल पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का उपयोग।**

विभिन्न परियोजनाओं के लिए मिट्टी की खुदाई के संबंध में निवारक जांच के दौरान कुछ परियोजनाओं में निम्न कमियां पाई गई हैः

1. मिट्टी की खुदाई स्तर को रिकार्ड करने के लिए मुद्रित पुस्तकों में हाथ से नंबर लिखे जाते है।
2. एमबैंकमेंट का क्रास स्लोप (cross slope of embankment) के काम में किसी मशीन का उपयोग किए बिना हाथों से किया जाता है।
3. कार्य स्थल पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की अनुपलब्धता।

इस सम्बन्ध में, पूर्व तट रेलवे में सभी परियोजना स्थलों पर निम्नलिखित एकरूप प्रणाली सुधार अपनाने का सुझाव हैः-

1. खुदाई के स्तरों को रिकार्ड करने के लिए मशीनीकृत मुद्रित पुस्तकों का उपयोग किया जाय।
2. इंबंकमेंट के सही क्रास स्लोप उपलब्ध कराने के लिए सभी परियोजना स्थलों पर ग्रेडर का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए।
3. इंजीनियरी पैरामीटरों यथा- जल-विषयक, सूखा-घनत्व, तरल सीमा, पार्टिकल साईज़ डीस्ट्रीब्युशन कर्व, कर्वेचर का गुणक, गुणक की एकरूपता, कंक्रीट का क्यूब क्षमता आदि को मापने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की जानी चाहिए।

केस-41

पी.आर.एस टिकट के स्पेशल रद्दकरण में अनियमितता

- एक रोड साईड स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने आरक्षण टिकट जारी करने के तुरंत बाद 'विशेष रद्दकरण' के तहत उस टिकट को फिर रद्द कर दिया पर मूल टिकट अपने पास रखने में असमर्थ रहा।
- धन वापसी राशि को स्टेशन मास्टर ने अपने पास रख लिया।
- एक बार टिकट विशेष रुप से रद्द होने पर बर्थ दूसरे यात्रियों को चला जाता है।
- ट्रेन में एक ही आरक्षण के लिए अलग-अलग यात्रा थे।

की गई कार्रवाईः संबंधित स्टेशन मास्टर के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियम के तहत दीर्घ दंड कार्रवाई की गई।

Case-40

Irregularity in supply of ballast contract

During preventive check for execution of contractual works related to supply of ballast the following facts were disclosed

The concerned SSE (P.Way) has failed to record the ground levels before allowing the contractor for supply of ballast. The initial levels being taken along the periphery of the ballast stack during record of final measurements of the ballast stack.

However the ground was found almost level during vigilance check and the quantity paid to the contractor was not much variable than the actual quantity.

Action taken: Staff concerned is being recommended to be taken under D&AR (Minor penalty).

System Improvement

1) **System Improvement suggested for use of machine numbered level book, use of Grader machine for cross slope of embankments and quality control laboratory at sight**

During preventive check in connection with the execution of earthwork at different projects, in some of the projects the following deficiencies are noticed.

1. The manually numbered printed books are used for recording levels of earthwork.
2. The cross slope of embankment is made manually without using any machine.
3. Non-availability of quality control laboratory at site.

In this connection, it is being suggested to uniformly adopt the following system improvement at all the project sites in E Co Railway:

1. The machine numbered printed level Books are to be used for recording the levels of earthwork.
2. Grader should be used efficiently in all the project sites for providing proper cross slope of embankments.
3. Quality control laboratory should be set up at site to measure the engineering parameters such as water content, dry density, liquid limit, particle size distribution curve, co-efficient of curvature, uniformity co-efficient, cube strength of concrete, etc.

Case-41

Irregularity in special cancellation of PRS ticket

- The Station Master of a roadside station, shortly after issuing a reservation ticket, cancelled the same under 'special cancellation' without retaining the original ticket.
- Refund amount was pocketed by the SM.
- Once the tickets were specially cancelled, the berths went to other passengers.
- There were different passengers for the same reserved accommodation in the train.

Action taken: Major Penalty DAR action was initiated against the SM.

केस-42

निविदा अनुसूची में दिए गए प्रवधानों का गैर-अनुपालन

कर्मचारी आवास के मीटर रीडिंग की ऑउटसोर्सिंग संविदा के निवारक जांच के दौरान यह पाया गया कि -

1. आवास का मीटर रीडिंग लेने के लिए जिस एजेंसी को नियुक्त किया गया था वह साल में एक या दो बार ही मीटर रीडिंग ले रही है, जबकि अनुसूची में हर महीने मीटर रीडिंग लेने का प्रावधान है।
2. एजेंसी द्वारा ली गई मीटर रीडिंग की सत्यता की जांच कभी नहीं की गई।

की गई कार्रवाई:

1. अनुसूची में दिए गए प्रावधान के अनुसार मासिक मीटर रीडिंग नहीं लेने के कारण एजेंसी पर जुर्माना लगाने हेतु सिफारिश की गई है।
2. प्रणाली सुधार का सुझाव है कि प्रत्येक महीने एजेंसी द्वारा जमा की जा रही मीटर रीडिंग की अनियमित नमूने की जाँच की जाए।

केस-43

पार्सल प्रेषण पर गलत शुल्क लगाना

- एक पार्सल कार्यालय में निवारक जांच के दौरान इतर रेलवे के एक प्रमुख स्टेशन से बुक किए गए 21 पार्सल कनसाईनमेंट का दुबारा वजन कराया गया।
- पता चला कि बुक किया गया वजन 1,678 किलोग्राम था (सभी पैकेज बड़े आकार के थे), जबकि पुनःतौलने पर वज़न 3674 किलोग्राम पाया गया।
- पार्टी से रु.9252/- के बराबर की शुल्क राशि वसूल की गई।

की गई कार्रवाई: पार्सल कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कार्रवाई करने के लिए संबंधित ज़ोनल रेलवे को सलाह दी गई।

केस-44

उच्च श्रेणी के डिब्बों में अनियमित यात्रियों को अनुमति देना

- एक इंटरसिटी एक्सप्रेस में निवारक जांच के दौरान यह पाया गया कि 13 अनियमित यात्री उच्च श्रेणी के डिब्बे में कोच कंडक्टर की अनुमति से यात्रा कर रहे थे।
- कोच कंडक्टर ने मध्य सेक्शन से उक्त यात्रियों को अनुमति देने के बावजूद, चूक का पता चलने तक तथा दो स्टेशनों के मध्य एक घंटा का समय मिलने के बाद भी, उन यात्रियों से देय किराया नहीं वसूला।
- सतर्कता जांच के दौरान 3675/- रु. की राशि वसूली गई।

की गई कार्रवाई: संबंधित टिकट जांच कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Case-42

Non comply of provision in tender schedule

During preventive check of an outsourcing contract of meter reading of staff quarters it was observed that.

1. The agency engaged for meter reading of quarters found taking meter reading once or twice in year, whereas provision in schedule to take meter reading every month.
2. The meter reading taken by the agency never been verified for its correctness.

Action taken:

1. Recommended for penalty to the agency for not taking monthly reading as per provision in the schedule.
1. System improvement suggested for cross checking of random sample of meter reading submitted by the agency each month.

Case-43

Wrong charging of parcel consignments

- During a preventive check conducted at a Parcel Office, 21 parcel consignments booked from a major booking station of a foreign Railway were re weighed.
- It was detected that the re-weighment weight was 3674 kg (all bulky packages) whereas the booked weight was 1678 kg.
- An undercharge to the tune of Rs 9,252/- was realized from the party.

Action taken: The concerned zonal Railway was advised to initiate D&AR action against the parcel staff.

Case-44

Allowing irregular passengers in upper class coaches

- During a preventive check conducted in an intercity express, it was detected that 13 irregular passengers have been allowed by the coach conductor in the upper class coach.
- The coach conductors, despite allowing the above passengers, from the intermediate station, have not realized the due fare up to the point of detection even after a lapse of one hour from such stations.
- An amount of Rs 3,675/- was realized during the vigilance check.

Action taken: The concerned ticket checking staff was taken up under D&AR action.

RB-2111
क्र.सं/Sl.No.....
दिनांक/Date 21/9/16
आद्याक्षर/Initial.....

क्र.स./Sl. No. DGR-539
दिनांक/Date 21/9
हस्ताक्षर/Initial.....

VIGILANCE BRANCH
Date of Receipt 23-9-16
Serial No. 3727
Received by.....

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No.: 2016/M (W)/645/11 New Delhi, dated: 16/09/2016

ECOR

The General Managers
All Indian Railways & PUs

The Chief Administrative Officers
DMW, Patiala/RWP, Bela/COFMOW/IROAF

The Director General, RDSO, Lucknow
The Director General, NAIR, Vadodara

SDGM
Forwarded
CME
सचिव/Secy.
स्वाक्षर/Initial
21/9
दिनांक/Date

Sub : Clarity in Tender Documents

While investigating a Central Vigilance Commission (CVC) referred complaint related to sandblasting and painting of bogies in a railway workshop, it was observed that there were irregularities/mistakes in the schedule of rates page of the tender document like:

a) The description of item of work (i.e. sand blasting of bogie frame) was not written. Only the name of component of bogie frames and quantity were mentioned in the schedule of rates page.

b) In the row in the schedule of rates page where the painting activity was mentioned, the quantity to be painted in the corresponding column was not provided. If quantity of item to be executed is not mentioned in schedule, it may not be possible to decide lowest tender in all case, because in such a case total cost of work cannot be calculated. Moreover, the painting activity was not serially numbered. Thus, it did not indicate whether the rate has to be quoted for this item.

The above irregularities appeared to have created confusion among the tenderers and tender committee which evaluated the tender.

To avoid recurrence of such incident in future, it is desired that zonal railways/production units may ensure that:

SDGM
DY. CE/C, E

1/2

To circulate to all dept & ...

Dy. CVO (E)

a. The tender documents should have optimum clarity especially in reference to the parameters that are going to be scrutinized significantly in the selection process; and

b. It is advisable that the tendering authorities go for optimum number of pre-bid meetings within the available time so that maximum possible clarity with regard to various parameters may be given to the potential bidders especially when the work is being done for the first time. This will not only result in clarity among the potential bidders about the tender requirements but will also minimize the legal complications due to possible perception of bias in the tendering process and hence will result in ensuring the fairness and equity.

The above may be brought to the notice of all concerned on your railway/PU.

Kindly acknowledge receipt and ensure accordingly.

(Kalyani Chadha)
Exec. Dir. Mech. Engg. (Workshops)

Copy:

1.	**CMEs, All Zonal Railways**	:	For information please
2.	**FA&CAOs, All Zonal Railways**	:	For information please
3.	**Director, IRIMEE, Jamalpur**	:	For information please
4.	**Director, IRIEEN, Nasik Road**	:	For information please
5	**Director, IRICEN, Pune**	:	For information please
6	**Director, IRISET, Secunderabad**	:	For information please
7	**Director, IRITM, Lucknow**	:	For information please
8	**Director Vigilance (Mech.) Railway Board**	:	For information please in reference to note no. 2013/V3/N/Mech./27-CVC dated 09/09/2016

DGR-257
क्र.स./Sl. No.
दिनांक/Date 8/9
हस्ताक्षर/Initial

RB-2009
क्र.स./Sl.No. 7/9/16
दिनांक/Date
हस्ताक्षर/Initial

Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

No. E(O)-I/2016/Misc/05 **New Delhi, dated 01.09.2016.**

The General Managers,
All Indian Railways, and
Production Units.

14.9.16
3541

Sub: Regarding imposition of penalty.

Recently, it has been brought to the notice of Board that in one case, where the penalty of withholding of increment for a period of six months without cumulative effect, had been imposed, the said penalty was implemented by making it effective from 7th January, which in effect implies that the officer did not undergo any punitive measure as far as salary is concerned. The purpose of the imposition of penalty got defeated in the said case.

This, instance, has been noted with concern, and Board have desired that in cases, where penalties are required to be imposed, the same should be done carefully in a manner so as to ensure that the orders of the Disciplinary Authority are implemented as per rules as well as in letter and in spirit.

Receipt of this letter may kindly be acknowledged.

(B. Majumdar)
Joint Secretary(Estt)-II
Railway Board.

Pl circulate
SDGM
DS/PA
DS/G - for circulation.
DGM
DY-CVO/T, E
CVO/P, AVO/G

क्र.सं. / Sl. No. DGD-4557
दिनांक/ Date 24/8/15
हस्ताक्षर/ Initial

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD
New Delhi

No. 2009/V1/CVC/1/5 Dated 18.08.15.

The SDGMs
Zonal Railways

The Chief Vigilance Officers
PSUs/PUs/RDSOs/METRO/CORE

Sub: Role of Disciplinary/Appellate/Revisionary Authorities while dealing with the sensitive cases.

The need for issue of self-contained, speaking and reasoned order by the Disciplinary/Appellate/Revisionary Authorities has been emphasized to Zonal Railways from time to time. Copies of relevant instructions issued in this regard are enclosed herewith.

It has, however, come to notice that while dealing with sensitive cases relating to alleged corruption, the Disciplinary/Appellate/Revisionary Authorities may sometimes be casual in their approach and their speaking and reasoned orders may not reflect proper application of mind. The CVC has also commented on this aspect from time to time.

It is, therefore, desired that all concerned Disciplinary/Appellate/Revisionary Authorities should be advised to be careful in dealing with the sensitive cases relating to alleged corruption and they should record their decisions after giving due thought to the gravity of the charges and the nature and extent of irregularity. Handling of appeal and revisionary petitions should be done with utmost care and after taking all facts into consideration. While exercising their judgment, DAs/AAs/RAs are expected to be fair and just. At the same time, decisions taken should not give the impression that the employees found guilty of serious misconduct are ultimately let off leniently as this would vitiate the process of punishing the guilty and will create an impression that allegations of corruption are not taken seriously.

This issues with the approval of Chief Vigilance Officer/Railway Board.

DA: (i)Letter No. 2003/V-1/CVC/1/19 dated 8.12.2003

(ii)Letter Nos. 2009/V-1/CVC/1/5 dated 20.4.2009, 28.12.2011, 23.5.2012 and 5.01.2015

(N.K.Sharma)
Director Vig(Stores) as Director Vig(M)
Railway Board

Copy to:

The GMs, All Zonal Railways.

DISCLAIMER

"The matter / information published in this publication is purely for guidance and improving the awareness among railway employees. It should not be quoted in any official reference or produced in court. Readers should refer the original instructions/orders for complete and authentic information".

Shri Umesh Singh, General Manager, East Coast Railway administrates pledge to the officials of East Coast Railway on 31.10.2016 on commencement of Vigilance Awareness Week.

Officials of East Coast Railway taking pledge on 31.10.2016.

A SKIT on corruption performed by the staff of Waltair Division on 31.10.2016.

Shri Gokul Chandra Pati, IAS, Rtd. Chief Secretary, Odisha, addressing the officers of East Coast Railway on 31.10.2016 during Vigilance Awareness Week.

Shri Gokul Chandra Pati, IAS, Rtd. Chief Secretary, Odisha, interacting with officers of East Coast Railway during the address on 31.10.2016.

Vigilance session / workshop in Sambalpur Division.

Stakeholders meet arranged in Headquarter of
East Coast Railway on 02.11.2016 during Vigilance Awareness Week.

Lecture & interactive session with students of S.B. Women's College, Cuttack.

Lecture & interactive session with students of Maharshi Women's College, Bhubaneswar.

Lecture & interactive session with students of Saraswati Shishu Mandir, CDA, Cuttack.

Lecture & interactive session with students of Govt. High School, Rail Vihar, Bhubaneswar.

Lecture & interactive session with students of Railway Settlement High School, Cuttack.

Art & Painting Competition among different School Students of Bhubaneswar.

Essay Competition among different school students of Bhubaneswar.

Debate Competition among different school students of Cuttack.

On the spot painting by Ms. Sudhruti Padhiary, Class-X, St. Xavier's High School, Khandagiri, Bhubaneswar